भारतीय रिज़र्व बैंक
विदेशी मुद्रा विभाग
केंद्रीय कार्यालय
मुंबई-400001

आरबीआई/2014-15/15
मास्टर परिपत्र सं.10/2014-15 **1 जुलाई 2014**
(25 जुलाई 2014 तक अद्यतन)

विदेशी मुद्रा के सभी प्राधिकृत व्यक्ति

महोदया/महोदय,

मास्टर परिपत्र - मुद्रा परिवर्तन कार्यकलाप को नियंत्रित करने वाले अनुदेशों का ज्ञापन

इस मास्टर परिपत्र में "मुद्रा परिवर्तन कार्यकलाप को नियंत्रित करने वाले अनुदेशों के ज्ञापन" विषय पर वर्तमान अनुदेशों को एक ही स्थान पर समेकित किया गया है। इसमें निहित परिपत्र/अधिसूचनाएं परिशिष्ट में दी गई हैं।

2.सामान्य मार्गदर्शन के लिए इस मास्टर परिपत्र का संदर्भ लिया जाए। आवश्यक होने पर विस्तृत जानकारी के लिए प्राधिकृत व्यक्ति और प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक संबंधित परिपत्रों/अधिसूचनाओं का संदर्भ लें।

3. नए अनुदेश जारी होने पर, इस मास्टर परिपत्र को समय-समय पर अद्यतन किया जाता है। मास्टर परिपत्र किस तारीख तक अद्यतन है, इसका उचित रूप में उल्लेख किया जाता है।

भवदीय,

(बी॰पी॰ कानूनगो)
प्रधान मुख्य महाप्रबंधक

अनुक्रमणिका

खंड- I	प्राधिकृत मुद्रा परिवर्तकों को लाइसेंस जारी करने तथा अन्य अनुमोदन के लिए दिशा-निर्देश
	अतिरिक्त शाखाओं को प्राधिकार देने के लिए दिशा-निर्देश
खंड- II	प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंकों / प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-II तथा संपूर्ण मुद्रा परिवर्तकों द्वारा एजेंटों/ फ्रेंचाइजीज की नियुक्ति के लिए दिशा-निर्देश
खंड- III	मौजूदा संपूर्ण मुद्रा परिवर्तकों के लाइसेंसों के नवीनीकरण के लिए दिशा-निर्देश
खंड-IV	परिचालनगत दिशा-निर्देश
खंड-V	केवाइसी/ एएमएल/ सीएफटी दिशा-निर्देश
खंड-VI	लाइसेंस को वापस लेना
खंड-VII	संपूर्ण मुद्रा परिवर्तकों / गैर-बैंक प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-II के निदेशकों के लिए "उपयुक्त तथा योग्य व्यक्ति " मानदंड
खंड-VIII	
संलग्नक I	मुद्रा परिवर्तन कार्यकलापों के लिए केवाईसी/ एएमएल/ सीएफटी दिशा-निर्देश
संलग्नक II	विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम,1999 की धारा 10(1) के तहत संपूर्ण मुद्रा परिवर्तकों को लाइसेंस के लिए आवेदनपत्र
संलग्नक III	फॉर्म आरएमसी-एफ
संलग्नक IV	एफएलएम 1
संलग्नक V	एफएलएम 2
संलग्नक VI	एफएलएम 3
संलग्नक VII	एफएलएम 4
संलग्नक VIII	एफएलएम 5
संलग्नक IX	एफएलएम 6
संलग्नक X	एफएलएम 7
संलग्नक XI	एफएलएम 8
संलग्नक XII	10,000 अमरीकी डॉलर अथवा इससे ऊपर की खरीद लेनदेनों का विवरण
संलग्नक XIII	विदेशी करेंसी नोटों/यात्री चेकों के नकदीकरण के निर्यात आगम में से भारत में खोले गये विदेशी मुद्रा खाते का संकलन (जोड़) दर्शानेवाला विवरण।
संलग्नक XIV	वित्तीय वर्ष के दौरान बट्टे खाते डाली गई राशि का विवरण
परिशिष्ट	

खंड-I

प्राधिकृत मुद्रा परिवर्तकों को लाइसेंस जारी करने तथा अन्य अनुमोदनों के लिए दिशा-निर्देश

1. प्रस्तावना

प्राधिकृत मुद्रा परिवर्तक, विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 की धारा 10 के तहत भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्राधिकृत संस्थाएं हैं। प्राधिकृत मुद्रा परिवर्तक संपूर्ण मुद्रा परिवर्तक होते हैं। प्रतिस्पर्धा के जरिये कुशल ग्राहक सेवा सुनिश्चित करते हुए निवासियों तथा पर्यटकों को विदेशी मुद्रा विनिमय की सुविधाओं की सुलभता के दायरे को और अधिक बढ़ाने के लिए प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक तथा प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-II के अतिरिक्त, संपूर्ण मुद्रा परिवर्तक, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए विदेशी मुद्रा का कारोबार करने के लिए अधिकृत हैं। संपूर्ण मुद्रा परिवर्तक, निवासियों और भारत आये अनिवासियों से कतिपय अनुमोदित प्रयोजनों के लिए विदेशी मुद्रा की खरीद तथा बिक्री के लिए अधिकृत हैं। प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक तथा प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-II और संपूर्ण मुद्रा परिवर्तक, विदेशी मुद्रा* की खरीद का कारोबार करने के लिए फ्रेंचाइजीज नियुक्त कर सकते हैं। कोई भी व्यक्ति भारतीय रिजर्व बैंक से विदेशी मुद्रा परिवर्तन का वैध लाइसेंस लिए बिना विदेशी मुद्रा परिवर्तन का कारोबार नहीं करेगा अथवा ऐसा विज्ञापन नहीं देगा कि वह विदेशी मुद्रा का कारोबार करता है। बिना वैध लाइसेंस के विदेशी मुद्रा परिवर्तन का कारोबार करते हुए पाये जाने पर कोई भी व्यक्ति उपर्युक्त अधिनियम के तहत दंड का भागी होगा।

*** टिप्पणी: पाकिस्तान और बांगलादेश की सीमा से 10 किलोमीटर के भीतर कार्य कर रहे प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक/प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-II/ संपूर्ण मुद्रा परिवर्तकों के फ्रेंचाइजीज़, रिज़र्व बैंक के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों की पूर्वानुमति से सीमावर्ती देश की मुद्रा भी बेच सकते हैं । प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक/ प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-II/ संपूर्ण मुद्रा परिवर्तकों के अन्य फ्रेंचाइजीज़ विदेशी मुद्रा नहीं बेच सकते हैं।**

2. संपूर्ण मुद्रा परिवर्तकों को लाइसेंस जारी करने के लिए दिशा-निर्देश

संपूर्ण मुद्रा परिवर्तन के नये लाइसेंस जारी करने तथा जारी लाइसेंसों के नवीनीकरण, शाखाओं को लाइसेंस देने, एजेंटों/ फ्रेंचाइजीज की नियुक्ति के लिए अनुमोदन तथा प्राधिकृत व्यक्तियों के लिए अपने ग्राहक को जानिये (केवाइसी)/धन-शोधन निवारण (एएमएल गाइड लाइंस)/आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध करने (सीएफटी) संबंधी दिशा-निर्देश नीचे दिये गये हैं।

(i) प्रवेश-मानदंड

(i) आवेदक, कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत पंजीकृत होना चाहिए।

(ii) संपूर्ण मुद्रा परिवर्तक के रूप में स्वीकार किये जाने के लिए अपेक्षित न्यूनतम निवल स्वाधिकृत निधियां निम्नवत हैं:

श्रेणी	न्यूनतम निवल स्वाधिकृत निधियां
एकल शाखा संपूर्ण मुद्रा परिवर्तक	25 लाख रुपये
बहु-शाखा संपूर्ण मुद्रा परिवर्तक	50 लाख रुपये

टिप्पणी: आवेदकों की, बैंकों को छोड़कर, निवल स्वाधिकृत निधियों की गणना निम्नवत की जाए:-

(ए) <u>स्वाधिकृत निधियां</u> : (प्रदत्त ईक्विटी पूंजी + मुक्त आरक्षित निधियां + लाभ-हानि खाते में जमा का इति शेष) से घटायें (हानि का संचित शेष, आस्थगित राजस्व व्यय तथा अन्य अगोचर परिसंपत्तयां)

(बी) <u>निवल स्वाधिकृत निधियां</u> : स्वाधिकृत निधियों से उसकी सहायक कंपनियों, उसी समूह की कंपनियों, सभी (अन्य) गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के शेयरों में निवेश की राशि, इसके साथ ही स्वाधिकृत निधियों के 10 प्रतिशत से अधिक उसकी सहायक कंपनियों के डिबेंचर्स, बाँडों, लिये गये बकाया ऋण तथा उधार का बही मूल्य घटाएं।

(ii) प्रलेखन

भारतीय रिजर्व बैंक के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय, जिसके क्षेत्राधिकार में आवेदक का कार्यालय आता हो, के विदेशी मुद्रा विभाग में **संलग्नक-II** में दिये गये फॉर्म में निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ आवदेनपत्र दिया जाये ।

(ए) कंपनी के निगमन तथा अपना कारोबार शुरू करने के प्रमाणपत्रों की एक-एक प्रति ।

(बी) मुद्रा परिवर्तन का कारोबार शुरू करने के लिए प्रावधान वाले ज्ञापन तथा बहिर्नियम अथवा कंपनी लॉ बोर्ड को दाखिल किया गया इस आशय का उपयुक्त संशोधन।

(सी) खातों के लेखापरीक्षण की अद्यतन प्रति जिसके साथ सनदी लेखाकार का एक प्रमाणपत्र जिसमें आवेदन पत्र की तारीख को निवल स्वाधिकृत निधियां प्रमाणित हों। लेखापरीक्षित तुलन-पत्र तथा जहाँ लागू हो, कंपनी के तीन वर्ष के लाभ-हानि खाते की प्रति।

(डी) एक मुहरबंद लिफाफे में आवेदक के बैंकर की गोपनीय रिपोर्ट।

(ई) इस आशय की एक घोषणा कि आवेदक कंपनी अथवा उसके निदेशकों के विरुद्ध प्रवर्तन निदेशालय/ राजस्व आसूचना निदेशालय अथवा अन्य किसी कानून प्रवर्तन प्राधिकरण द्वारा कोई कार्यवाही प्रारंभ नहीं की गई है / लंबित नहीं है और आवेदक कंपनी अथवा उसके निदेशकों के विरुद्ध कोई आपराधिक मामला दायर नही है/ लंबित नहीं है।

(एफ) इस आशय की एक घोषणा कि कारोबार शुरू करने से पहले भारतीय रिजर्व बैंक का अनुमोदन मिलते ही, समय-समय पर यथा संशोधित, 27 नवंबर 2009 के ए.पी.(डीआईआर सिरीज) परिपत्र सं.17 [ए.पी.(एफएल सिरीज) परिपत्र सं.04] द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसरण में अपने ग्राहक को जानिए / धन-शोधन निवारण/ आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध करने पर समुचित नीतिगत ढांचा लागू कर दिया जायेगा।

(जी) वित्तीय क्षेत्र में सक्रिय सहयोगी /संबद्ध संस्थाओं जैसे कि गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों आदि के ब्योरे।

(एच) मुद्रा परिवर्तन का व्यवसाय करने के लिए/से संबंधित बोर्ड के प्रस्ताव की प्रमाणित प्रति।

(iii) अनुमोदन का आधार

(i) चूँकि अनेक संपूर्ण मुद्रा परिवर्तक पहले से ही इस कार्य में लगे हुए हैं, अत: नये लाइसेंस चुनिंदा आधार पर केवल उनको ही जारी किये जायेंगे जो कि लाइसेंस के लिए सभी अपेक्षाएं पूरी करते हों।

(ii) <u>संपूर्ण मुद्रा परिवर्तन आवेदकों के लिए "उपयुक्त और योग्य व्यक्ति " मानदंड**#**</u>

यदि किसी आवेदक कंपनी/ उसके निदेशकों के विरुद्ध किसी प्रवर्तन निदेशालय/ राजस्व आसूचना निदेशालय द्वारा कोई मामला अथवा अन्य किसी कानून प्रवर्तन प्राधिकरण द्वारा कोई अन्य मामला शुरू किया गया हो / लंबित हो तो उस कंपनी को "उपयुक्त और योग्य व्यक्ति " नहीं माना जायेगा और संपूर्ण मुद्रा परिवर्तक के रूप में लाइसेंस के लिए उसके आवेदनपत्र पर विचार नहीं किया जायेगा।
(# गैर- बैंक प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-II पर भी लागू है)

(iii) संपूर्ण मुद्रा परिवर्तकों के निदेशकों के लिए "उपयुक्त और योग्य व्यक्ति " मानदंड*
इस संबंध में कृपया **खंड – VIII** देखें।
(* गैर- बैंक प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-II पर भी लागू है)

(iv) <u>उच्चाधिकार प्राप्त समिति से मंजूरी</u>

संपूर्ण मुद्रा परिवर्तक के लाइसेंस जारी करने के लिए प्राप्त अनुरोधों पर, इस प्रयोजन हेतु गठित उच्चाधिकार प्राप्त समिति की मंजूरी के तहत भारतीय रिजर्व बैंक के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा विचार किया जायेगा।

(v) इस संबंध में मंजूरी देने अथवा अन्यथा का भारतीय रिजर्व बैंक का निर्णय अंतिम और बाध्यकर होगा ।

(vi) भारतीय रिजर्व बैंक की मंजूरी मिल जाने पर, कारोबार शुरू करने से पहले भारतीय रिजर्व बैंक के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय में शाप्स एंड इस्टैब्लिशमेंट ऐक्ट के तहत पंजीकरण की प्रति अथवा कोई अन्य दस्तावेजी सबूत जैसे कि किराये की रसीद, पट्टा करार की प्रति आदि जमा कर देना चाहिए।

(vii) संपूर्ण मुद्रा परिवर्तक को लाइसेंस जारी करने की तारीख से **छ: माह** के भीतर अपना कारोबार शुरू कर लेना चाहिए और भारतीय रिजर्व बैंक के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को इसकी सूचना देना चाहिए।

(viii) नये संपूर्ण मुद्रा परिवर्तक को अपने कार्यकलाप नीचे **खंड V तथा VI** में विनिर्दिष्ट अनुदेशों तथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी अन्य अनुदेशों के अनुसार करना चाहिये ।

[टिप्पणी: पात्रता मानदंड पूरे करने वाले शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबीएस) को केवल प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी।/ प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी ।। के रूप में प्राधिकृत करने पर विचार किया जाएगा ।

खंड ।।

<u>अतिरिक्त शाखाओं को प्राधिकार देने के लिए के दिशा-निर्देश</u>

1. केवल उस परिस्थिति को छोड़कर जब कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा पूर्व अनुमति दी गई हो, कोई संपूर्ण मुद्रा परिवर्तक अपने स्थायी स्थान के अलावा अन्य किसी दूसरी जगह पर मुद्रा परिवर्तन का कारोबार नहीं करेगा। अपने स्थायी स्थान के अलावा अन्य किसी दूसरी जगह पर मुद्रा परिवर्तन का कारोबार करने का इच्छुक कोई संपूर्ण मुद्रा परिवर्तक, भारतीय रिजर्व बैंक के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय के विदेशी मुद्रा विभाग में , जिसके क्षेत्राधिकार में उसका पंजीकृत कार्यालय आता हो, लिखित रूप में आवेदनपत्र दे और भारतीय रिजर्व बैंक कतिपय शर्तों पर जिन्हें कि वह उपयुक्त समझे, अतिरिक्त स्थान पर कारोबार करने की मंजूरी दे सकता है। यह आशा की जाती है कि प्राधिकृत व्यक्तियों की शाखाएं विशाखीकृत की जानी चाहिए और पर्यटकों, आदि की मांग पूरी होनी चाहिए। पर्यटकों को आकर्षित करने वाले दूरस्थ क्षेत्रों/केंद्रों पर शाखाएं खोलने के आवेदनपत्रों को वरीयता दी जाएगी।

2. अतिरिक्त स्थानों (कार्य-स्थल) के आवेदनपत्र के साथ निम्नलिखित कागजात संलग्न किये जाएं:-

   (ए) खातों के लेखापरीक्षण की अद्यतन प्रति जिसके साथ आवेदन पत्र की तारीख को निवल स्वाधिकृत निधियों के संबंध में सांविधिक लेखाकार के एक प्रमाणपत्र की प्रति।

   (बी) मुहरबंद लिफाफे में आवेदक के बैंकर की गोपनीय रिपोर्ट।

   (सी) इस आशय की एक घोषणा कि आवेदक कंपनी और उसके निदेशकों के विरुद्ध प्रवर्तन निदेशालय/ राजस्व आसूचना निदेशालय अथवा अन्य किसी कानून प्रवर्तन प्राधिकरण द्वारा कार्यवाही प्रारंभ नहीं की गई है / लंबित नहीं है और आवेदक कंपनी और उसके निदेशकों के विरुद्ध कोई आपराधिक मामला दायर नही है/ लंबित नहीं है। किसी संपूर्ण मुद्रा परिवर्तक को, जिसके विरुद्ध प्रवर्तन निदेशालय/ राजस्व आसूचना निदेशालय का कोई बड़ा मामला विचाराधीन है, कोई नया लाइसेंस जारी नहीं किया जायेगा। प्रवर्तन निदेशालय/ राजस्व आसूचना निदेशालय का कोई छोटा-मोटा मामला लंबित होने पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मामले-दर-मामले के आधार पर निर्णय लिया जायेगा। प्रवर्तन निदेशालय/ राजस्व आसूचना निदेशालय में लंबित मामलों को गंभीर और साधारण मामले के रूप में वर्गीकृत करने का भारतीय रिजर्व बैंक का निर्णय अंतिम और बाध्यकर होगा। जहाँ प्रवर्तन निदेशालय/ राजस्व आसूचना निदेशालय के मामलों में अधिनिर्णय हो चुका है और दंड लागू कर दिया गया है, ऐसे मामलों में भारतीय रिजर्व बैंक अपराध के स्वरूप के आधार पर अपनी राय कायम करेगा बशर्ते कि उस व्यक्ति के विरुद्ध प्रवर्तन निदेशालय/ राजस्व आसूचना निदेशालय में कोई नया मामला शुरू नहीं कर दिया गया हो।

   (डी) अपने ग्राहक को जानिए / धन-शोधन निवारण/ आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध करने संबंधी दिशा-निर्देशों के संबंध में कंपनी के नीतिगत ढांचे की एक प्रति।

   (ई) आंतरिक तथा बाह्य लेखा परीक्षा सहित आंतरिक नियंत्रण प्रणाली पर एक संक्षिप्त रिपोर्ट।

3. किसी अतिरिक्त शाखा में कारोबार प्रारंभ करने से पहले भारतीय रिज़र्व बैंक के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को दुकान और संस्था अधिनियम के तहत पंजीकरण की एक प्रति अथवा अन्य कोई दस्तावेजी साक्ष्य जैसे किराया रसीद, पट्टा करार की प्रति आदि प्रस्तुत करना चाहिए।

4. प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी -I बैंकों/प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी -II/संपूर्ण मुद्रा परिवर्तकों द्वारा भारत में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर विदेशी मुद्रा विनियम काउंटरों (पूर्ण शाखाएं/विस्तार पटल) को खोलने के लिए निम्नलिखित शर्तों का पालन किया जाना चाहिए।

(ए) अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों के आगमन हाल में सीमा शुल्क डेस्क (ग्रीन चैनल/रेड चैनल) के बाद आदर्श रूप में विदेशी मुद्रा विनियम काउंटर स्थापित किए जा सकते हैं । हालंकि भारत में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों में पारगमन (इमीग्रेशन) डेस्क और सीमा शुल्क डेस्क के बीच में भी विदेशी मुद्रा विनियम काउंटर स्थापित किए जा सकते हैं बशर्ते इन काउंटरों पर केवल विदेशी मुद्रा की खरीद तथा भारतीय रुपए की बिक्री की जाए तथा मुद्रा परिवर्तक ग्राहकों को अनिवार्यत: "नकदीकरण प्रमाणपत्र" जारी किए जाएं ।

(बी) अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों के प्रस्थान हाल में सीमा शुल्क डेस्क या पारगमन डेस्क में से जो भी पहले हो, उससे पहले विदेशी मुद्रा विनियम काउंटर स्थापित किए जाएंगे । तथापि, अनिवासियों को निम्न पैरा (सी) तथा (डी) में निहित सीमा तक उनके खर्च न किए/अतिरिक्त भारतीय रुपये को परिवर्तित करने के लिए विदेशी मुद्रा विनियम काउंटर हवाई अड्डों के प्रस्थान हाल में सीमा शुल्क डेस्क के बाद ड्यूटी फ्री एरिया/एसएचए के बाद स्थापित किए जाएं।

(सी) भारत के निवासी, साथ ही अनिवासी को जो – (i) पाकिस्तान और बंगलादेश का नागरिक नहीं है तथा (ii) जो पाकिस्तान और बंगलादेश को नहीं जाने वाला है, केवल किसी एयरपोर्ट से भारत से बाहर जाते समय अधिकतम 25,000 रुपये तक की राशि के भारतीय नोट ले जाने की अनुमति है।

(डी) हवाई मार्ग से देश से बाहर जा रहे पाकिस्तानी और बांगलादेशी नागरिकों को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों के बोर्डिंग पॉइंट तक अधिकतम 10,000/- रुपये तक रखने की अनुमति है, परंतु उससे आगे नहीं है।

5. संपूर्ण मुद्रा परिवर्तकों को लाइसेंस जारी होने की तारीख से **छ: महीनों** की अवधि के भीतर अपनी अतिरिक्त शाखा का परिचालन प्रारंभ करना चाहिए और भारतीय रिज़र्व बैंक के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को सूचित करना चाहिए।

खंड -।।।

<u>प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंकों / प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-II तथा संपूर्ण मुद्रा परिवर्तकों द्वारा एजेंटों/ फ्रेंचाइजीज की नियुक्ति के लिए दिशा-निर्देश</u>

1. इस योजना के तहत भारतीय रिज़र्व बैंक प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी -। बैंक, प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी -।। और संपूर्ण मुद्रा परिवर्तकों को अपने विवेक के अनुसार सीमित मुद्रा परिवर्तन कारोबार अर्थात विदेशी मुद्रा नोटों, सिक्कों का परिवर्तन अथवा यात्री चेकों का रुपयों में परिवर्तन करने के प्रयोजन के लिए (फ्रेंचाइजी, एजेंसी) करार करने के लिए अनुमति देता है।

2. फ्रेंचाइजी

किसी भी संस्था जिसके पास कारोबार करने के लिए स्थान है और रु. 10 लाख की न्यूनतम निवल स्वाधिकृत निधि है उसे फ्रेंचाइजी दी जा सकती है। फ्रेंचाइजी केवल सीमित मुद्रा परिवर्तन कारोबार कर सकते हैं ।

3. फ्रेंचाइजी करार

फ्रेंचायजी नियोक्ता के रूप में प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक/ प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-II/ संपूर्ण मुद्रा परिवर्तक फ्रेंचाइजी के साथ पारस्परिक करार के जरिये करार की अवधि और कमीशन अथवा शुल्क निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र है।

एजेंसी / फ्रेंचाइजी करार में निम्नलिखित प्रमुख विशेषताओं का समावेश होना चाहिए :

(ए) फ्रेंचायजी को अपने कार्यालय में अपने फ्रेंचाइजी नियोक्ता के नाम, विनिमय दर तथा वे विदेशी मुद्रा की खरीद के लिए ही प्राधिकृत है, इन बातों को प्रमुखता से प्रदर्शित करना चाहिए। विदेशी मुद्रा का रुपये में परिवर्तन करने के लिए विनिमय दर प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-। बैंक/ प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-।। / संपूर्ण मुद्रा परिवर्तकों द्वारा अपनी शाखा पर लगायी गयी दैनिक विनिमय दर वही हो अथवा रुपये में दैनिक विनिमय दर के निकट हो।

(बी) फ्रेन्चाइजी द्वारा खरीदी गयी विदेशी मुद्रा, खरीद की तारीख से 7 कार्य दिनों के भीतर केवल फ्रेंचाइजर को सुपुर्द करनी चाहिए।

(सी) फ्रेंचाइजी द्वारा लेनदेनों का उचित रिकॉर्ड रखा जाना चाहिए।

(डी) फ्रेंचाइजी नियोक्ता द्वारा फ्रेंचाइजी का वर्ष में कम से कम एक बार प्रत्यक्ष निरीक्षण करना चाहिए।

4. आवेदन की प्रक्रिया

प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-। बैंक/ प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-।।/ संपूर्ण मुद्रा परिवर्तकों को इस योजना के तहत फ्रेंचाइजीज की नियुक्ति के लिए फॉर्म आरएमसी-एफ **(संलग्नक - ।।।)** में भारतीय रिज़र्व बैंक के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को आवेदन करना होगा। आवेदन के साथ घोषणा पत्र लगाना होगा कि फ्रेंचाइजी का चयन करते समय पर्याप्त सावधानी बरती गई है और ऐसी संस्थाओं द्वारा मुद्रा परिवर्तन से संबंधित फ्रेंचाइजी करार तथा भारतीय रिज़र्व बैंक की प्रचलित विनियमावली के प्रावधानों का पालन करने का वचन दिया गया है। भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा पहले फ्रेंचाइजी व्यवस्था के लिए अनुमोदन दिया जाएगा।

उसके बाद जब कोई नया फ्रेंचाइजी करार किया जाएगा तो उसकी रिपोर्ट बाद में उसी प्रकार की पूर्वोक्त घोषणा के साथ फॉर्म आरएमसी-एफ **(संलग्नक - ।।।)** में रिज़र्व बैंक को भेजना होगा।

5. फ्रेंचाइजी संबंधी समुचित सावधानी

प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-। बैंक / प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-।।/ संपूर्ण मुद्रा परिवर्तकों को फ्रेंचाइजियों के संबंध में सावधानी बरतते समय निम्नलिखित न्यूनतम जांच करनी चाहिए:

- फ्रेंचाइजी की मौजूदा कारोबारी गतिविधियां/ इस क्षेत्र में उनकी स्थिति।
- फ्रेंचाइजी की न्यूनतम निवल स्वाधिकृत निधि।
- फ्रेंचाइजी के पक्ष में दुकान और संस्था / अन्य लागू म्युनिसिपल प्रमाणन।
- फ्रेंचाइजी के वास्तविक स्थान का सत्यापन, जहां सीमित मुद्रा परिवर्तन कारोबार किया जाएगा।
- स्थानीय पुलिस प्राधिकारियों से फ्रेंचाइजी के आचरण संबंधी प्रमाणपत्र। (निगमित संस्थाओं के संबंध में ज्ञापन तथा संस्था के अंतर्नियम तथा निगमन के प्रमाणपत्र की प्रमाणित प्रति)

टिप्पणी: फ्रेंचाइजी के संबंध में स्थानीय पुलिस से आचरण संबंधी प्रमाणपत्र प्राप्त करना फ्रेंचाइजर के लिए ऐच्छिक है । तथापि, फ्रेंचाइजर फ्रेंचाइजी के रूप में ऐसे व्यक्तियों / कंपनियों (संस्थाओं) की नियुक्ति करने से बचें, जिनके खिलाफ कानून व्यवस्था स्थापित करने वाली एजेंसियों द्वारा /कार्यवाही प्रारंभ की गयी हो अथवा मामले लंबित हों।

- नियम लागू करनेवाली एजेंसी, यदि कोई हो, द्वारा फ्रेंचाइजी अथवा उसके निदेशकों/ भागीदारों के विरुद्ध चलाये गये / लंबित पिछले आपराधिक मामले, यदि कोई हो, संबंधी घोषणापत्र।
- फ्रेंचाइजी और उसके निदेशकों/ भागीदारों के पैन कार्ड।
- फ्रेंचाइजी के निदेशकों/ भागीदारों और मुख्य व्यक्तियों के फोटोग्राफ्स।

उपर्युक्त जांच नियमित आधार पर वर्ष में कम से कम एक बार करनी चाहिए। प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-। बैंक/ प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-।।/ संपूर्ण मुद्रा परिवर्तकों को फ्रेंचाइजी के कार्य स्थल पर व्यक्तिगत रूप से दौरा करने के अतिरिक्त उनके कार्य स्थल की पुष्टि करने वाले यथोचित दस्तावेजी साक्ष्य प्राप्त करने चाहिए। प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-। बैंक/ प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-।।/ संपूर्ण मुद्रा परिवर्तकों को फ्रेंचाइजी द्वारा निवल स्वाधिकृत निधि अर्थात निरंतर आधार पर रुपये 10 लाख बनाये रखने की पुष्टि करनेवाला सनदी लेखाकार का प्रमाणपत्र भी प्राप्त करना चाहिए।

6. केंद्रों का चयन

(i) प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-। बैंक/ प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-।।/ संपूर्ण मुद्रा परिवर्तक अपनी संबंधित नियंत्रक शाखा से 100 कि.मी. की दूरी के भीतर फ्रंचाइजियों की नियुक्ति कर सकते हैं ।

(ii) तथापि, फ्रंचाइजी के रूप में नियुक्त मान्यताप्राप्त समूह/ होटलों की श्रृंखला के मामले इस मानदंड से छूट प्राप्त हैं बशर्ते समूह/होटलों की श्रृंखला का हेड क्वार्टर प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-। बैंक/ प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-।।/ संपूर्ण मुद्रा परिवर्तक (फ्रंचाइजर) की संबंधित नियंत्रक शाखा के 100 कि.मी. के दायरे के भीतर आता हो ।

(iii) इसके अलवा, (संबंधित राज्य सरकारों/संघशासित क्षेत्रों, द्वारा यथा परिभाषित) पहाड़ी क्षेत्र के रूप में घोषित और उत्तर पूर्वी राज्यों के मामले में उल्लिखित बिंदु (i) में लगाये गये दूरी संबंधी प्रतिबंध लागू नहीं है ।

7. प्रशिक्षण

फ्रेंचाइजरों से अपेक्षित है कि वे योजना के परिचालन और अभिलेखों के रखरखाव के संबंध में फ्रेंचाइजियों को प्रशिक्षण दें।

8. रिपोर्टिंग, लेखा-परीक्षा और निरीक्षण

फ्रेंचाइजरों अर्थात प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-। बैंक/ प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-।।/ संपूर्ण मुद्रा परिवर्तकों से अपेक्षित है कि फ्रेंचाइजियों द्वारा फ्रेंचाइजरों को नियमित आधार पर (कम से कम मासिक आधार पर) लेनदेनों की रिपोर्टिंग के लिए पर्याप्त व्यवस्था करें। प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-। बैंक/ प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-।।/संपूर्ण मुद्रा परिवर्तकों द्वारा छ: महीनों में कम से कम एक बार फ्रेंचाइजी के सभी स्थानों की नियमित स्पॉट लेखा-परीक्षा की जानी चाहिए। इस लेखा-परीक्षा में समर्पित दल (dedicated team) शामिल करना चाहिए और फ्रेंचाइजी के अनुपालन स्तर की जांच करने के लिए **"मिस्ट्री ग्राहक" (ऐसे व्यक्ति जो, किस सीमा तक कार्य-निष्पादन कर सकते हैं, उसका अनुभव और मूल्यांकन करने के लिए संभाव्य ग्राहक के रूप में कार्य करते हैं)** अवधारणा का उपयोग किया जाना चाहिए। फ्रेंचाइजी की बहियों के वार्षिक निरीक्षण की एक प्रणाली भी बनायी जाए। इस निरीक्षण का प्रयोजन यह सुनिश्चित करना है कि फ्रेंचाइजी द्वारा मुद्रा परिवर्तन कारोबार, करार की शर्तों के अनुसार और भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जा रहा है और फ्रेंचाइजी द्वारा आवश्यक अभिलेखों का रखरखाव किया जा रहा है।

9. धन शोधन निवारण / अपने ग्राहक को जानिये / आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध करने संबंधी दिशा-निर्देश

फ्रेंचाइजी से अपेक्षित है कि वे प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-। बैंक/ प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-।।/ संपूर्ण मुद्रा परिवर्तकों के लिए लागू धन शोधन निवारण / अपने ग्राहक को जानिए/ आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध करने संबंधी दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन करें।

टिप्पणी : ऐसे किसी संपूर्ण मुद्रा परिवर्तक / गैर-बैंक प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-।। को फ्रेंचाइजी की नियुक्ति के लिए लाइसेंस जारी नहीं किया जाएगा जिसके विरूद्ध प्रवर्तन निदेशालय/ राजस्व आसूचना निदेशालय/ केंद्रीय जांच ब्यूरो/ पुलिस की कोई बड़ी जांच लंबित है। यदि किसी संपूर्ण मुद्रा परिवर्तक/ गैर-बैंक प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी - ।। ने फ्रेंचाइजी की नियुक्ति के लिए एक-बार अनुमोदन प्राप्त कर लिया हो और अनुमोदन की तारीख के बाद प्रवर्तन निदेशालय/ राजस्व आसूचना निदेशालय/ केंद्रीय जांच ब्यूरो / पुलिस द्वारा कोई मुकदमा दायर किया जाता है तो संपूर्ण मुद्रा परिवर्तक/ गैर-बैंक प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-।। को तदनंतर फ्रेंचाइजी की नियुक्ति नहीं करनी चाहिए और इससे भारतीय रिज़र्व बैंक को अविलंब अवगत कराना चाहिए। संपूर्ण मुद्रा परिवर्तक / गैर-बैंक प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी - ।। को फ्रेंचाइजी की नियुक्ति की अनुमति देने का निर्णय भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा लिया जाएगा।

खंड -IV

<u>मौजूदा संपूर्ण मुद्रा परिवर्तकों के लाइसेंसों के नवीकरण के लिए दिशा-निर्देश</u>

1. आवेदक, कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत पंजीकृत होना चाहिये और उसका पंजीकृत कार्यालय विदेशी मुद्रा विभाग के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय के क्षेत्राधिकार के भीतर हो।

2. निवल स्वाधिकृत निधि निम्नवत होना आवश्यक है :

श्रेणी	**न्यूनतम निवल स्वाधिकृत निधि**
एकल शाखा संपूर्ण मुद्रा परिवर्तक	रुपये 25 लाख
बहु शाखा संपूर्ण मुद्रा परिवर्तक	रुपये 50 लाख

3. नवीनीकरण के लिए आवेदन पत्र निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ प्रस्तुत किये जाने चाहिए ।

(ए) लेखा-परीक्षा की तारीख को निवल स्वाधिकृत निधि की स्थिति संबंधी सांविधिक लेखा-परीक्षकों से प्राप्त प्रमाणपत्र के साथ लेखों की अंतिम लेखा-परीक्षा रिपोर्ट की प्रतिलिपि।

(बी) मुहरबंद लिफाफे में आवेदक के बैंकर की गोपनीय रिपोर्ट।

(सी) इस आशय का घोषणापत्र कि आवेदक कंपनी और उसके निदेशकों के विरुद्ध प्रवर्तन निदेशालय / राजस्व आसूचना निदेशालय अथवा किसी अन्य कानून लागू करने वाले प्राधिकरण के पास कोई कार्यवाही चालू / लंबित नहीं है और आवेदक कंपनी और उसके निदेशकों के विरुद्ध आपराधिक मामले नहीं चल रहे हैं/ लंबित नहीं हैं ।

(डी) कंपनी में अपने ग्राहक को जानिये/ धन शोधन निवारक/आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध करने संबंधी मौजूदा नीति की रूपरेखा की एक प्रतिलिपि।

टिप्पणी :-मुद्रा परिवर्तक के लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए लाइसेंस की समाप्ति से एक महीने पहले अथवा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा यथा निर्धारित अवधि के भीतर आवेदन पत्र दिया जाना चाहिए। जब कोई व्यक्ति अपने मुद्रा परिवर्तक के लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत करता है तो लाइसेंस नवीनीकरण की तारीख तक अथवा आवेदन पत्र अस्वीकृत किये जाने तक, जैसी भी स्थिति हो, लाइसेंस बना रहेगा। मुद्रा परिवर्तक के लाइसेंस की समाप्ति के बाद लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए आवेदन पत्र नहीं दिया जाना चाहिए।

खंड-V

परिचालनगत अनुदेश

1. विदेशी मुद्रा लाना और बाहर ले जाना

(i) विदेशी मुद्रा किसी भी सीमा तक और मुक्त रूप से भारत में लाई जा सकती है बशर्ते कि आते समय सीमा शुल्क प्राधिकारियों के समक्ष वह मुद्रा घोषणा फॉर्म (सीडीएफ) में घोषित की गयी हो। यदि लायी गयी विदेशी मुद्रा करेंसी नोटों अथवा यात्री चेक के रूप में 10,000/- अमरीकी डॉलर अथवा उसके समतुल्य से अधिक न हो और अथवा विदेशी करेंसी नोटों का मूल्य 5,000/- अमरीकी डॉलर अथवा उसके समतुल्य से अधिक न हो, तो सीडीएफ के लिए आग्रह न किया जाए।

(ii) प्राधिकृत व्यापारी अथवा मुद्रा परिवर्तक से प्राप्त की गई विदेशी मुद्रा को छोड़कर जब तक भारतीय रिज़र्व बैंक के सामान्य अथवा विशेष अनुमोदन के तहत स्वीकार्य न हो, किसी भी रूप में विदेशी मुद्रा बाहर ले जाना निषिद्ध है। परंतु उक्त उप-पैरा (i) के अनुपालन की शर्त पर अनिवासियों को, शुरू में लाई गई रकम के बराबर विदेशी मुद्रा बाहर ले जाने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक की सामान्य अनुमति है।

2. जनता से विदेशी मुद्रा की खरीद

(i) प्राधिकृत मुद्रा परिवर्तक (एएमसीएस) / फ्रेंचाइजी निवासियों और अनिवासियों से मुक्त रूप से विदेशी मुद्रा नोट, सिक्के और यात्री चेक की खरीद कर सकते हैं। यदि विदेशी मुद्रा सीडीएफ फॉर्म पर घोषणा करके लाई गई है तो घोषणा फॉर्म प्रस्तुत करने के लिए कहा जाए। प्राधिकृत मुद्रा परिवर्तक, सीडीएफ में घोषणा प्रस्तुत करने के लिए अनिवार्य रुप से आग्रह करें।

(ii) प्राधिकृत मुद्रा परिवर्तक (एएमसीएस), विदेशी पर्यटकों / यात्रियों को अंतर्राराष्ट्रीय क्रेडिट कार्ड/ अंतर्राराष्ट्रीय डेबिट कार्ड [1] पर भारतीय रुपये बेच सकते हैं और सामान्य बैंकिंग माध्यम से उनकी प्रतिपूर्ति के लिए तुरंत कार्रवाई कर सकते हैं।

3. नकदीकरण प्रमाणपत्र

(i) निवासियों तथा अनिवासियों से विदेशी मुद्रा नोट, सिक्के तथा यात्री चेक के खरीद के मामलों में, मांगे जाने पर, प्राधिकृत मुद्रा परिवर्तक नकदीकरण का प्रमाणपत्र जारी कर सकते हैं। ये प्रमाणपत्र मुद्रा परिवर्तक के पत्र-शीर्ष पर प्राधिकृत हस्ताक्षरों से जारी किये जाएं और उनका उचित अभिलेख रखा जाए।

(ii) जिन मामलों में नकदीकरण प्रमाणपत्र जारी न किया गया हो, ग्राहकों के ध्यान में यह तथ्य लाया जाए कि केवल वैध नकदीकरण प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने पर ही अनिवासियों के पास बची हुई स्थानीय मुद्रा को विदेशी मुद्रा में परिवर्तित करने की अनुमति दी जाएगी।

[1] 05.04.2013 का ए.पी.(डीआईआर सीरीज़) परिपत्र सं. 96

4. प्राधिकृत मुद्रा परिवर्तकों (एएमसीएस) और प्राधिकृत व्यापारियों से खरीद

प्राधिकृत मुद्रा परिवर्तक (एएमसीएस) किसी भी अन्य प्राधिकृत मुद्रा परिवर्तक (एएमसीएस) और प्राधिकृत व्यापारियों से सामान्य कारोबार के दौरान प्राप्त विदेशी मुद्रा नोट, सिक्के और भुनाये गये यात्री चेक खरीद सकते हैं। खरीदी गई विदेशी मुद्रा का भुगतान उसके समतुल्य रुपयों के रेखांकित आदाता चेक / मांग ड्राफ्ट/ बैंकर चेक / भुगतान आदेश द्वारा किया जाए।

5. विदेशी मुद्रा की बिक्री

(I) निजी यात्राएं

प्राधिकृत मुद्रा परिवर्तक (एएमसीएस), भारत में निवासियों को किसी भी देश की (नेपाल और भूटान को छोड़कर), एक या अनेक, निजी यात्रा/यात्राओं के लिए विदेशी मुद्रा प्रबंध (चालू खाता लेनदेन) विनियमावली, 2000 की अनुसूची III में विनिर्दिष्ट निर्धारित सीमा (वर्तमान में 10,000 अमरीकी डॉलर) तक विदेशी मुद्रा बेच सकते हैं। इस प्रकार की निजी यात्रा के लिए यात्री को वित्तीय वर्ष के दौरान ली गई विदेशी मुद्रा की राशि के संबंध में स्व-घोषणा पत्र के आधार पर विदेशी मुद्रा उपलब्ध हो सकेगी। भारत में स्थायी रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों को भी अपनी निजी यात्राओं के लिए यह कोटा लेने की पात्रता है, बशर्ते कि आवेदक अपने वेतन, अपनी बचत आदि को वर्तमान विनियमावली के अनुसार विदेश भेजने की सुविधा का लाभ न उठा रहा हो।

(II) कारोबारी यात्राएं

प्राधिकृत मुद्रा परिवर्तक (एएमसीएस) भारत में रहने वाले व्यक्तियों को कारोबारी यात्रा करने अथवा सम्मेलन में भाग लेने अथवा विशिष्ट प्रशिक्षण अथवा इलाज के लिए विदेश जा रहे रोगी के निर्वाह व्यय अथवा विदेश में जांच के लिए अथवा इलाज / चिकित्सीय-जांच के लिए विदेश जा रहे रोगी के साथ परिचर के रूप में जाने के लिए विदेशी मुद्रा प्रबंध (चालू खाता लेनदेन) विनियमावली, 2000 की सारणी III में विनिर्दिष्ट सीमा (वर्तमान में 25,000 अमरीकी डॉलर प्रति यात्रा) तक विदेशी मुद्रा बेच सकते हैं।

(III) फॉरेक्स प्री-पेड कार्ड

प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी II, केवाईसी/एएमएल/सीएफटी अपेक्षाएं पूरी होने की शर्त के अधीन, निवासियों को निजी यात्राओं / विदेशी कारोबारी यात्राओं के बाबत फॉरेक्स प्री-पेड कार्ड जारी कर सकते हैं । तथापि, प्रीपेड कार्ड से संबंधित भुगतान/निपटान प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक के मार्फत किये जाएं ।

शर्तें

i. भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा सामान्यत: ऐसे दस्तावेजों का निर्देशन नहीं किया जायेगा, जिनका प्राधिकृत मुद्रा परिवर्तकों को विदेशी मुद्रा जारी करते समय सत्यापन करना चाहिए। इस संबंध में, प्राधिकृत मुद्रा परिवर्तकों का ध्यान विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 की धारा 10 की उप-धारा (5) की ओर आकर्षित किया जाता है।

ii. यात्री चेक जारी करने के मामले में, यात्री को प्राधिकृत अधिकारी की उपस्थिति में चेकों पर हस्ताक्षर करना चाहिए और यात्री चेकों की प्राप्ति के लिए क्रेता की प्राप्ति सूचना का लेखा-जोखा रखा जाए।

iii. प्राधिकृत मुद्रा परिवर्तक, यात्री द्वारा वित्तीय वर्ष के दौरान ली गयी विदेशी मुद्रा की राशि के संबंध में दिये गये घोषणापत्र के आधार पर यात्रा प्रयोजन हेतु विदेशी मुद्रा जारी कर सकते हैं।

iv. प्राधिकृत मुद्रा परिवर्तक विदेश यात्रा (निजी यात्रा अथवा किसी अन्य प्रयोजन के लिए की गयी यात्रा) के लिए बेची गयी विदेशी मुद्रा के संबंध में रु.50000/- (रुपये पचास हजार केवल) तक नकद भुगतान स्वीकार कर सकते हैं। बेची गयी विदेशी मुद्रा की राशि रु.50000/-(रुपये पचास हजार) से अधिक होने पर केवल आवेदक के बैंक खाते पर आहरित रेखांकित चेक अथवा आवेदक की यात्रा प्रायोजित करनेवाली फर्म / कंपनी के बैंक खाते पर आहरित रेखांकित चेक अथवा बैंकर्स चेक / भुगतान आदेश / मांग ड्राफ्ट द्वारा भुगतान प्राप्त किया जाए। इस प्रयोजन के लिए एक तो किसी एकल आहरण अथवा एक से अधिक आहरण को एकल यात्रा के रूप में माना जाए, जिसके लिए आहरित विदेशी मुद्रा की कीमत रु.50000/(रुपये पचास हजार) से अधिक होने पर उसका भुगतान चेक / बैंकर्स चेक / भुगतान आदेश / मांग ड्राफ्ट द्वारा किया जाए। प्राधिकृत मुद्रा परिवर्तक रुपयों में / रेखांकित चेक/ बैंकर्स चेक / भुगतान आदेश / मांग ड्राफ्ट के जरिये किये गये भुगतान के अतिरिक्त, विदेश यात्रा (निजी यात्रा अथवा किसी अन्य प्रयोजन के लिए की गयी यात्रा) के लिए डेबिट कार्डों/ क्रेडिट कार्डों/ प्रीपेड कार्डों के जरिये किये गये भुगतान भी स्वीकार कर सकते हैं बशर्ते - (i) अपने ग्राहक को जानिये / धन शोधन निवारण / आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध करने संबंधी दिशा-निर्देशों का अनुपालन किया गया हो (ii) बेची गयी विदेशी मुद्रा / विदेशी मुद्रा में जारी किये गये यात्री चेकों की राशि बैंक द्वारा निर्धारित सीमाओं (क्रेडिट/ प्रीपेड कार्डस्) के भीतर हो, (iii) विदेशी मुद्रा / विदेशी मुद्रा यात्री चेक का खरीददार और क्रेडिट/ डेबिट/ प्रीपेड कार्ड धारक एक ही व्यक्ति हो।

v. विदेशी मुद्रा नोटों और सिक्कों की बिक्री विदेशी मुद्रा की समग्र पात्रता के भीतर होनी चाहिए जो कि भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा यात्री की यात्रा के देश के लिए समय-समय पर निर्धारित की गई है।

6. भारतीय मुद्रा के पुन: परिवर्तन के बदले बिक्री

प्राधिकृत मुद्रा परिवर्तक, भारत से प्रस्थान करते समय अनिवासियों के पास बची हुई भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्रा में पुन: बदल सकते हैं बशर्ते कि वैध नकदीकरण प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया गया हो।

टिप्पणी (1): यह सुनिश्चित करने के बाद कि अनिवासी व्यक्ति अगले सात दिन में प्रस्थान करने वाला है और वह व्यक्ति नकदीकरण प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने में असमर्थ है तथा इसका उसके पास उचित कारण है, प्राधिकृत मुद्रा परिवर्तक अपने विवेक से अनिवासियों व्यक्तियों के पास बची हुई भारतीय मुद्रा रु.10,000 तक की राशि विदेशी मुद्रा में परिवर्तित कर सकते हैं।

टिप्पणी (2): प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-। और प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-।। और संपूर्ण मुद्रा परिवर्तक निम्नलिखित दस्तावेजों जैसे एटीएम रसीदों के आधार पर विदेशी पर्यटकों **(अनिवासी भारतीय नहीं)** को रु.50,000 तक की भारतीय मुद्रा को पुन: परिवर्तन (विदेशी मुद्रा में) की सुविधा प्रदान कर सकते हैं।

- वैध पारपत्र और वीज़ा
- 7 दिनों के भीतर प्रस्थान के लिए कन्फर्म टिकट
- एटीएम पर्ची मूल रूप में (मूल डेबिट/ क्रेडिट कार्ड के साथ सत्यापन के लिए)

7. कैश मेमो

प्राधिकृत मुद्रा परिवर्तक से यदि मांगा जाता है तो वे अपने कार्यालय के पत्र-शीर्ष पर विदेशी मुद्रा क्रेता यात्री को कैश मेमो जारी कर सकते हैं। वह कैश मेमो देश छोड़ते वक्त उत्प्रवासन प्राधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत करना आवश्यक हो सकता है।

8. विनिमय दर

प्राधिकृत मुद्रा परिवर्तक, विदेशी मुद्रा नोटों और यात्री चेकों का बाज़ार की स्थिति तथा चालू बाज़ार दरों द्वारा निर्धारित विनिमय दर पर लेनदेन कर सकते हैं।

9. विनिमय दर चार्ट का प्रदर्शन

प्राधिकृत मुद्रा परिवर्तक, पब्लिक काउंटर के निकट प्रमुख स्थानों पर चार्ट लगायेंगे, जिसमें सभी प्रमुख देशों के लिए विदेशी मुद्रा नोटों और यात्री चेकों की खरीद /बिक्री की दरें दी गई हो तथा किसी दिन के लिए कार्ड दर अधिक से अधिक पूर्वाह्न 10.30 बजे तक अद्यतन किया गया हो ।

10. विदेशी मुद्रा शेष

i. प्राधिकृत मुद्रा परिवर्तकों को अपने पास यथोचित मात्रा में विदेशी मुद्रा शेष रखना चाहिये और मुद्रा के उतार-चढ़ाव की सट्टेबाजी को ध्यान में रखते हुए निक्रिय शेष रखने से बचना चाहिये।

ii. फ्रेंचाइजी, खरीदे गये विदेशी मुद्रा नोट, सिक्के और यात्री चेक केवल फ्रेंचाइजर के पास 7 कार्य-दिनों के भीतर जमा करेंगे।

iii. प्राधिकृत व्यापारी और संपूर्ण मुद्रा परिवर्तक के बीच लेनदेन का भुगतान आदाता खाता रेखित चेक/ मांग ड्राफ्ट द्वारा किया जाएगा। किसी भी हालत में नकद भुगतान नहीं किया जाना चाहिए।

11. विदेशी मुद्रा शेष की पुन: पूर्ति करना (पुनर्भरण)

(i) प्राधिकृत मुद्रा परिवर्तक अपनी सामान्य कारोबार की जरूरतों के अनुसार दूसरे प्राधिकृत मुद्रा परिवर्तक/ भारत में विदेशी मुद्रा के प्राधिकृत व्यापारियों से आदाता खाता रेखांकित चेक/मांग ड्राफट द्वारा रुपये में भुगतान करके प्राप्त कर सकते हैं।

(ii) यदि प्राधिकृत मुद्रा परिवर्तक इस तरीके से अपने स्टॉक का पुनर्भरण नहीं कर सकते हैं तो भारत में विदेशी मुद्रा आयात करने की अनुमति के लिए प्राधिकृत व्यापारी के माध्यम से विदेशी मुद्रा बाज़ार प्रभाग, विदेशी मुद्रा विभाग, केंद्रीय कार्यालय, भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई को आवेदनपत्र दें। जिस नामित प्राधिकृत व्यापारी के माध्यम से आवेदनपत्र दिया जाता है, उसके माध्यम से ही आयात किया जाए।

12. अतिरिक्त विदेशी करेंसी नोटों/ यात्री चेकों का निर्यात / निपटान

प्राधिकृत मुद्रा परिवर्तक विदेशी मुद्रा के नामित प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक के माध्यम से मूल्य की उगाही के लिए अतिरिक्त विदेशी मुद्रा नोट / भुनाये गये यात्री चेकों को किसी समुद्रपारीय बैंक को निर्यात कर सकते हैं। संपूर्ण मुद्रा परिवर्तक, अतिरिक्त विदेशी मुद्रा, निजी मुद्रा परिवर्तकों को भी निर्यात कर सकते हैं बशर्ते कि वसूली योग्य मूल्य पहले ही किसी प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक के नास्ट्रो खाते में जमा कर दिया गया हो अथवा निर्यात किये जानेवाले विदेशी मुद्रा नोट / सिक्कों के संपूर्ण मूल्य के लिए किसी प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय बैंक द्वारा बैंक गारंटी जारी की गई हो।

13. जाली विदेशी करेंसी नोटों को बट्टे खाते डालना

खरीदे गये विदेशी मुद्रा नोटों के जाली पाये जाने पर, प्राधिकृत मुद्रा परिवर्तक, अपनी रकम की वसूली के लिए सभी उपलब्ध विकल्पों का उपयोग करने के पश्चात, अपने शीर्ष प्रबंध के अनुमोदन से 2000 अमरीकी डॉलर तक प्रति वित्तीय वर्ष बट्टे खाते में डाल सकते हैं। बट्टे खाते में डालने की रकम इससे अधिक होने पर भारतीय रिज़र्व बैंक के विदेशी मुद्रा विभाग के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय का अनुमोदन अपेक्षित होगा।

14. मुद्रा परिवर्तन कारोबार के लिए रजिस्टर और लेखा बहियां

(i) प्राधिकृत मुद्रा परिवर्तक अपने मुद्रा परिवर्तन लेनदेनों के संबंध में निम्नलिखित रजिस्टर रखेंगे:

(ए) फॉर्म **एफएलएम 1** में दैनिक सारांश और तुलन बही (विदेशी करेंसी नोट/ सिक्के)**(संलग्नक-IV)**।

(बी) फॉर्म **एफएलएम 2** में दैनिक सारांश और तुलन बही (यात्री चेक) **(संलग्नक-V)**।

(सी) फॉर्म **एफएलएम 3** में जनता से विदेशी करेंसी की खरीद का रजिस्टर **(संलग्नक-VI)**।

(डी) फॉर्म **एफएलएम 4** में प्राधिकृत व्यापारियों और प्राधिकृत मुद्रा परिवर्तकों से खरीदे गये विदेशी करेंसी नोटों / सिक्कों का रजिस्टर **(संलग्नक-VII)**।

(ई) फॉर्म **एफएलएम 5** में जनता को विदेशी करेंसी नोटों / सिक्के और विदेशी करेंसी यात्री चेकों की बिक्री का रजिस्टर **(संलग्नक-VIII)**।

(एफ) फॉर्म **एफएलएम 6** में प्राधिकृत व्यापारियों / संपूर्ण मुद्रा परिवर्तकों / समुद्रपारीय बैंकों को विदेशी करेंसी नोटों / सिक्कों की बिक्री का रजिस्टर **(संलग्नक-IX)**।

(जी) फॉर्म **एफएलएम 7** में प्राधिकृत व्यापारियों / प्राधिकृत मुद्रा परिवर्तकों को सुपुर्द / निर्यात किये गये यात्री चेकों का रजिस्टर **(संलग्नक-X)**।

(ii) सभी रजिस्टर और बहियों को अद्यतन रखा जाए, उसकी दुतरफा जांच की जाए और शेष का सत्यापन प्रतिदिन किया जाए।

(iii) प्राधिकृत मुद्रा परिवर्तक के मुद्रा परिवर्तन कारोबार से भिन्न लेनदेन को मुद्रा परिवर्तन के लेनदेन के साथ न मिलाया जाए। दूसरे शब्दों में, रजिस्टर और लेखा बहियों से मुद्रा परिवर्तन कारोबार से संबंधित लेनदेन का स्पष्ट रूप से मिलान किया जाना चाहिए।

(iv) यदि प्राधिकृत मुद्रा परिवर्तक एक से अधिक स्थानों पर कारोबार करता है तो प्रत्येक स्थान के लिए अलग-अलग रजिस्टर रखना चाहिए।

टिप्पणी : विदेशी करेंसियों का अंतर-शाखा अंतरण स्टॉक अंतरण के रूप में लेखांकित किया जाएगा और न कि बिक्री के रूप में लेखांकित किया जाएगा।

15. भारतीय रिज़र्व बैंक को विवरणी का प्रस्तुतीकरण

(i) प्राधिकृत मुद्रा परिवर्तक, अपने सभी कार्यालयों का विदेशी मुद्रा नोटों की खरीद और बिक्री संबंधी समेकित विवरण फॉर्म **एफएलएम 8 (संलग्नक-XI)** में भारतीय रिज़र्व बैंक के उस कार्यालय को, जिसने लाइसेंस जारी किया हो, इस प्रकार भेजें कि वह संबंधित माह से अगले माह की 10 तारीख तक अवश्य मिल जाए।

(ii) प्राधिकृत मुद्रा परिवर्तक **संलग्नक-XII** के फॉर्मेट में प्रति लेनदेन 10,000 (अथवा उसके समतुल्य) अमरीकी डॉलर और उससे अधिक की प्राप्ति/ खरीद का ब्योरा देते हुए मासिक विवरण विदेशी मुद्रा विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को महीने की समाप्ति पर आगामी महीने की 10 तारीख तक अवश्य प्रस्तुत करें। संपूर्ण मुद्रा परिवर्तक/ प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी -।। अपने विवरण में अपने फ्रेंचाइजी के लेनदेन को शामिल करें।

(iii) प्राधिकृत मुद्रा परिवर्तक **संलग्नक-XIII** के फॉर्मेट के अनुसार प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी -। बैंक के पास अपने नाम में भारत में रखे गये विदेशी मुद्रा लेखों संबंधी तिमाही विवरण विदेशी मुद्रा विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को प्रस्तुत करें।

(iv) समस्त प्राधिकृत मुद्रा परिवर्तकों द्वारा **संलग्नक-XIV** में दिये गये फॉर्मेट के अनुसार, वित्तीय वर्ष के दौरान बट्टे खाते डाली गयी राशि के ब्योरे देते हुए, लाइसेंस देने वाले भारतीय रिज़र्व बैंक के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय के विदेशी मुद्रा विभाग को वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर आगामी माह के भीतर एक वार्षिक विवरण प्रस्तुत किया जाए।

16. प्राधिकृत मुद्रा परिवर्तकों के लेनदेन का निरीक्षण

विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 की धारा 12 (1) भारतीय रिज़र्व बैंक के किसी अधिकारी को प्राधिकृत मुद्रा परिवर्तकों की बहियों और अन्य दस्तावेजों का निरीक्षण करने का इस संबंध में विशेष रूप से अधिकार प्रदान करती है। प्राधिकृत मुद्रा परिवर्तक, निरीक्षण करते समय निरीक्षण अधिकारियों को सभी प्रकार की सहायता एवं सहयोग करें। कोई लेखा बही अथवा अन्य दस्तावेज अथवा कोई विवरण अथवा जानकारी न दे पाना अथवा मुद्रा परिवर्तन लेनदेन के संबंध में निरीक्षण अधिकारी के किसी प्रश्न का जवाब न देना, पूर्वोक्त अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन माना जाएगा।

17. समवर्ती लेखापरीक्षा

(i) प्राधिकृत मुद्रा परिवर्तक अपने लेनदेनों के लिए समवर्ती लेखापरीक्षा की प्रणाली लागू करें।

(ii) सभी एकल शाखा प्राधिकृत मुद्रा परिवर्तक, जिनका कुल पण्यावर्त (टर्न ओवर) प्रतिमाह 100,000 अमरीकी डॉलर से अधिक अथवा उसके समतुल्य है, मासिक (समवर्ती) लेखापरीक्षा प्रणाली लागू करें। एकल शाखा प्राधिकृत मुद्रा परिवर्तक जिनका कुल पण्यावर्त प्रतिमाह 100,000 अमरीकी डॉलर से कम अथवा उसके समतुल्य है वे तिमाही लेखापरीक्षा प्रणाली लागू करें। बहुविध शाखाओं वाले प्राधिकृत मुद्रा परिवर्तक समवर्ती लेखापरीक्षा प्रणाली लागू करें जिसमें मूल्य-वार लेनदेनों के 80% को मासिक लेखापरीक्षा में और शेष 20% को तिमाही लेखापरीक्षा में पूरा किया जाए।

(iii) समवर्ती लेखा परीक्षकों की नियुक्ति / उनका चयन प्राधिकृत मुद्रा परिवर्तकों के विवेक पर छोड़ दिया गया है। समवर्ती लेखा परीक्षक प्राधिकृत मुद्रा परिवर्तकों के सभी लेनदेनों की जांच करें और सुनिश्चित करें कि भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी सभी अनुदेशों का अनुपालन किया जाता है। सांविधिक लेखा परीक्षकों को प्रमाणित करना होगा कि समवर्ती लेखापरीक्षा और आंतरिक नियंत्रण प्रणाली संतोषजनक रूप से कार्य कर रही हैं।

18. अस्थायी मुद्रा परिवर्तन सुविधाएं

प्राधिकृत मुद्रा परिवर्तक केवल लाइसेंस में उल्लिखित स्थानों अथवा विशिष्ट रूप से उल्लिखित स्थानों पर ही मुद्रा परिवर्तन का कारोबार करने के लिए प्राधिकृत हैं। यदि किसी विशेष मौके पर अस्थायी रूप से मुद्रा परिवर्तन की सुविधा प्रदान करने की इच्छा जाहिर की जाती है तो उसके लिए विदेशी मुद्रा विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को आवेदन करना होगा। आवेदनपत्र में पूरे ब्योरे जैसे, अवधि जिसमें विनिमय काउंटर लगाया जाएगा, प्रत्याशित कारोबार की मात्रा, लेनदेन के लेखाकरण का तरीका, मुद्रा परिवर्तन की सुविधा प्रदान करने लिए स्थान उपलब्ध कराने का आयोजकों से प्राप्त पत्र, आदि प्रस्तुत करना होगा।

19. (ए) प्राधिकृत मुद्रा परिवर्तकों द्वारा विदेशी मुद्रा खाता खोलना

प्राधिकृत मुद्रा परिवर्तकों को, भारतीय रिज़र्व बैंक के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय के विदेशी मुद्रा विभाग के अनुमोदन से निम्नलिखित शर्तों पर भारत में विदेशी मुद्रा खाता खोलना की अनुमति दी जा सकती है:-

(i) किसी विशिष्ट केंद्र पर केवल एक खाते को अनुमति दी जा सकती है।

(ii) विदेशी करेंसी नोटों/ विशिष्ट बैंक के जरिये निर्यातित भुनाये गये यात्री चेकों का मूल्य ही खाते में जमा किया जा सकता है।

(iii) खातों में शेष राशि का उपयोग केवल निम्नलिखित के कारण देयताओं के निपटान के लिए ही किया जाएगा -

(ए) प्राधिकृत मुद्रा परिवर्तकों द्वारा बेचे गये यात्री चेक और

(बी) प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-। बैंकों से प्राधिकृत मुद्रा परिवर्तकों द्वारा प्राप्त विदेशी करेंसी नोट।

(iv) इस खाते में कोई निक्रिय शेष नहीं रखा जाएगा।

(बी) प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-।। द्वारा नॉस्ट्रो खाते खोलना

रिज़र्व बैंक से एक बार अनुमति मिलने के बाद प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-।। बैंक निम्नलिखित शर्तों के तहत नॉस्ट्रो खाते खोल सकते हैं:

(i) प्रत्येक करेंसी के लिए केवल एक नॉस्ट्रो खाता खोला जा सकता है;

(ii) इस खाते में जमा-शेष-राशि का उपयोग अनुमत प्रयोजनों हेतु किए गए विप्रेषणों के निपटान के लिए ही किया जा सकता है और उसका उपयोग विदेशी मुद्रा के प्रीपेड कार्डों के भुगतान के लिए नहीं किया जा सकता है;

(iii) इस खाते में ऐसी जमा-शेष-राशि न रखी जाए जिसका उपयोग न किया जा रहा हो; और

(iv) वे समय-समय पर विनिर्दिष्ट रिपोर्टिंग अपेक्षा के अधीन होंगे।

20. तुलन पत्र प्रस्तुत करना और निवल स्वाधिकृत निधि बनाये रखना

सभी प्राधिकृत मुद्रा परिवर्तकों से यह अपेक्षित है कि वे अपने निवल स्वाधिकृत निधि के सत्यापन के प्रयोजन के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को अपना वार्षिक लेखा परीक्षण किया गया तुलन पत्र, सांविधिक लेखा परीक्षकों से तुलन पत्र की तारीख तक निवल स्वाधिकृत निधि संबंधी प्रमाणपत्र के साथ प्रस्तुत करें। चूंकि प्राधिकृत मुद्रा परिवर्तकों से यह अपेक्षित है कि वे निरंतरता के आधार पर न्यूनतम निवल स्वाधिकृत निधि बनाये रखें, अत: उनसे यह अपेक्षित है कि यदि उनका निवल स्वाधिकृत निधि न्यूनतम स्तर से कम होता है तो निवल स्वाधिकृत निधि न्यूनतम आवश्यक स्तर तक लाने के लिए ब्योरेवार समयबद्ध योजना का उल्लेख करते हुए इससे भारतीय रिज़र्व बैंक को तत्काल अवगत कराएं।

21.करेंसी फ्यूचर्स और एक्स्चेंज ट्रेडेड करेंसी ऑप्शन्स मार्केट में संपूर्ण मुद्रा परिवर्तकों (एफएमसीसी) और प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-॥ (प्रा.व्या.श्रेणी-॥) द्वारा सहभागिता

संपूर्ण मुद्रा परिवर्तकों (एफएमसीसी) और प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-॥[जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक(आरआरबी), स्थानीय क्षेत्रीय बैंक (एलएबी), शहरी सहकारी बैंक (यूसीबी) तथा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) नहीं है], जिनकी न्यूनतम निवल मालियत रु.5 करोड़ है, वे अपने अंडरलायिंग विदेशी मुद्रा एक्स्पोज़रों की हेजिंग के लिए केवल ग्राहक के रुप में, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा मान्यताप्राप्त, विनिमय गृहों के पदनामित करेंसी फ्यूचर्स तथा करेंसी ऑप्शन्स में सहभागी हो सकते हैं। संपूर्ण मुद्रा परिवर्तकों (एफएमसीसी) और प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-॥ जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक(आरआरबी), स्थानीय क्षेत्रीय बैंक (एलएबी), शहरी सहकारी बैंक (यूसीबी) तथा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) है, वे इस संबंध में रिज़र्व बैंक के संबंधित विनियामक विभागों द्वारा जारी अनुदेशों का पालन करें।

खंड VI

अपने ग्राहक को जानिये((केवाईसी)/ धन शोधन निवारक(एएमएल)/आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध(सीएफटी) करने संबंधी दिशा-निर्देश

मुद्रा परिवर्तन कार्यकलापों के संबध में अपने ग्राहक को जानिये/ धन शोधन निवारक/आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध करने संबंधी विस्तृत दिशा-निर्देश **संलग्नक -I** में दिये गये हैं।

खंड VII

<u>लाइसेंस समाप्त करना</u>

यदि भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट है कि (ए) ऐसा करना लोकहित में है अथवा (बी) प्राधिकृत मुद्रा परिवर्तक को जिस शर्त पर अनुमोदन प्रदान किया गया था उस शर्त का अनुपालन करने में वह असफल रहा है अथवा विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 के किसी प्रावधान का अथवा उसके अंतर्गत बनाये गये किसी नियम, विनियम, अधिसूचना, निर्देश अथवा आदेश का उल्लंघन किया है तो भारतीय रिज़र्व बैंक प्राधिकृत मुद्रा परिवर्तक को प्रदान किया गया लाइसेंस समाप्त करने का अधिकार आरक्षित करता है। भारतीय रिज़र्व बैंक किसी सांविधिक अथवा विनियामक प्रावधान का उल्लंघन करने के लिए किसी कार्यालय को दिया गया अनुमोदन समाप्त करने का अधिकार आरक्षित करता है। भारतीय रिज़र्व बैंक किसी भी समय पर मुद्रा परिवर्तक के लाइसेंस की मौजूदा शर्तों में परिवर्तित अथवा समापन कर सकता है अथवा नयी शर्तें लगा सकता है।

खंड VIII

[खंड ।, पैराग्राफ 2 (iii) (iii) देखें]

<u>संपूर्ण मुद्रा परिवर्तक/गैर-बैंक प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-II के निदेशकों के लिए "उपयुक्त और योग्य व्यक्ति " मानदंड</u>

(ए) बोर्ड में निदेशक नियुक्त करने/ के निदेशक के पद पर बने रहने की उपयुक्तता निर्धारित करने के लिए संपूर्ण मुद्रा परिवर्तक/ गैर-बैंक प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-II के बोर्ड को एक ऐसी वांछनीय प्रक्रिया शुरू करनी चाहिये जो कि शैक्षिक योग्यता, विशेषज्ञता, पिछला कार्य-निष्पादन रिकार्ड, ईमानदारी और अन्य "उपयुक्त और योग्य व्यक्ति " मानदंड पर आधारित हो। ईमानदारी और उपयुक्तता निर्धारण के लिए आपराधिक रिकॉर्ड , यदि कोई हो, वित्तीय हैसियत, व्यक्तिगत कर्जे की वसूली के लिए प्रारंभ की गई कोई सिविल कार्रवाई, किसी व्यावसायिक निकाय में प्रवेश अथवा उससे निष्कासन, किसी नियंत्रक अथवा ऐसे ही किसी निकाय द्वारा लगाया गया प्रतिबंध और पहले का कोई आपत्तिजनक कारोबारी चलन आदि पर विचार किया जाना चाहिये। निदेशक मंडल को स्व-घोषणा, बाजार-रिपोर्टों का सत्यापन आदि जानकारी मंगाकर "उपयुक्त और योग्य व्यक्ति " की हैसियत का निर्धारण करना चाहिए। संपूर्ण मुद्रा परिवर्तकों / गैर-बैंक प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-II को प्रस्तावित/मौजूदा निदेशकों से इस प्रयोजन हेतु आवश्यक जानकारी इसके अंत में दिये गये फॉर्मेट में प्राप्त कर लेना चाहिये।

(बी) नियुक्ति/नियुक्ति के नवीनीकरण के समय संपूर्ण मुद्रा परिवर्तकों / गैर-बैंक प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-II द्वारा एक ऐसी वांछनीय प्रक्रिया अमल में लायी जानी चाहिये।

(सी) संपूर्ण मुद्रा परिवर्तकों / गैर-बैंक प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-II के संचालक मंडलों को घोषणाओं की छानबीन करने के लिए नामांकन समितियां गठित कर लेनी चाहिये।

(डी) नामांकन समितियों को हस्ताक्षरित घोषणा में दी गई जानकारी के आधार पर उनकी स्वीकार्यता अथवा अन्यथा निश्चित करनी चाहिये और जहाँ जरूरी हो, निर्दिष्ट अपेक्षाओं का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए समुचित प्राधिकरण से संपर्क करना चाहिए।

(ई) संपूर्ण मुद्रा परिवर्तकों / गैर-बैंक प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-II- को चाहिए कि वे वार्षिक आधार पर 31 मार्च को इस आशय की एक साधारण घोषणा प्राप्त कर लें कि पूर्व में उपलब्ध करवायी गई जानकारी में कोई परिवर्तन नहीं है और जहाँ कोई परिवर्तन हैं, निदेशकों द्वारा अपेक्षित ब्योरे तत्काल प्रस्तुत किये जाते हैं।

(एफ) इसके अतिरिक्त, अभ्यर्थी की आयु 70 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए और न ही उसे संसद सदस्य/ विधान सभा सदस्य/ विधान परिषद का सदस्य होना चाहिए।

(जी) वर्ष के दौरान निदेशकों में किसी प्रकार का परिवर्तन होने पर भारतीय रिजर्व बैंक के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय के विदेशी मुद्रा विभाग को सूचित किया जाये।

(एच) किसी आवेदक, जिसके/जिनके मूल संगठन को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लाइसेंस दिया गया है/ प्राधिकृत किया गया है, के कार्यकलापों पर भारतीय रिजर्व बैंक के संबंधित विभागों से अभिमत प्राप्त किये जायेंगे।

प्रोफार्मा

संपूर्ण मुद्रा परिवर्तकों / गैर-बैंक प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-II के नये निदेशकों / निदेशकों में हुए परिवर्तनों के संबंध में जानकारी

1. नाम
2. पदनाम
3. राष्ट्रीयता
4. आयु
5. कार्य-स्थल का पता
6. आवासीय पता
7. शैक्षिक/ व्यावसायिक अर्हताएं
8. व्यवसाय की व्यवस्था अथवा योग्यता
9. अन्य कंपनियों के नाम जिनमें यह व्यक्ति अध्यक्ष/ प्रबंध निदेशक / निदेशक/ मुख्य कार्यपालक के पद पर रहा है
10. (i) क्या प्रायोजक है, किसी संपूर्ण मुद्रा परिवर्तक / प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-II का अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक अथवा निदेशक है ?
    (ii) यदि हाँ, तो उस कंपनी का / कंपनियों के नाम
11. (i) क्या किसी आर्थिक अपराध के लिए व्यक्तिगत रूप में/ अथवा साझेदार के तौर पर/ किसी कंपनी/ फर्म में निदेशक के रूप में कोई अभियोजन चला/ सजा हुई है ?
    (ii) यदि हाँ, तो उसके ब्योरे
12. मुद्रा परिवर्तक कारोबार का अनुभव(वर्षों में)
13. कंपनी में ईक्विटी शेयरधारिता
    शेयरों की संख्या
    अंकित मूल्य
    कंपनी की पूंजी में ईक्विटी शेयरों का प्रतिशत

हस्ताक्षर	:	नाम	:
दिनांक	:	पदनाम	:
स्थान	:	(मुख्य कार्यपालक अधिकारी)	
		कंपनी	:

संलग्नक-I

(खंड VI देखें)

भाग ए

मुद्रा परिवर्तन संबंधी गतिविधियों के लिए अपने ग्राहक को जानिये (केवाइसी) मापदंड / धन शोधन निवारण (एएमएल) मानक / आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध (सीएफटी) करने संबंधी दिशा-निर्देश

अपने ग्राहक को जानिये (केवाइसी) मापदंड / धन शोधन निवारण (एएमएल) मानक / आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध (सीएफटी) करने / धन शोधन निवारण (संशोधन) अधिनियम, 2009 द्वारा यथा संशोधित धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के तहत प्राधिकृत व्यक्तियों के दायित्व - मुद्रा परिवर्तन संबंधी गतिविधियां

1. प्रस्तावना

धन शोधन का अपराध, धनशोधन निवारण अधिनियम,2002 (पीएमएलए) की धारा 3 में "जो कोई अपराध की प्रक्रिया के साथ जुड़ी किसी क्रियाविधि अथवा गतिविधि में प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष शामिल होने का प्रयास करता है अथवा जानबूझकर सहायता करता है अथवा जानबूझकर कोई पार्टी है अथवा वास्तविक रूप से शामिल है और उसे बेदाग संपत्ति के रूप में प्रक्षेपित करता है वह धन शोधन के अपराध का दोषी होगा" के रूप में परिभाषित किया गया है। धन शोधन ऐसी प्रक्रिया कही जा सकती है जिसमें मुद्रा अथवा अन्य परिसंपत्तियां अपराध के आगम के रूप में प्राप्त की गयी है, जो "बेजमानती (Clean) मुद्रा" के लिए विनिमय की जाती है अथवा उनके आपराधिक मूल से कोई स्पष्ट संबंध नहीं है ऐसी अन्य परिसंपत्तियां हैं।

धन शोधन अपराध के तीन चरण हैं जिनके दौरान अपराधकर्ताओं द्वारा बहुत से लेनदेन किये जा सकते हैं, जो आपराधिक गतिविधि से संस्था को सावधान कर सकते हैं।

- **नियोजन -** अवैध गतिविधि से प्राप्त नकद राशि का वास्तविक निपटान।
- **लेयरिंग -** लेखा-परीक्षा जांच के दौरान छद्मवेष धारण करने और गुमनाम होने के लिए इस प्रकार किये गये वित्तीय लेनदेन के जटिल स्तर निर्माण करते हुए अपने स्त्रोतों से अवैध राशि अलग करना।
- **समाकलन -** आपराधिक रूप से प्राप्त संपत्ति को आभासी वैधता देना। यदि लेयरिंग प्रक्रिया सफल होती है तो समाकलन योजना से आपराधिक रूप से प्राप्त राशि अर्थव्यवस्था में इस प्रकार फिर से लायी जाती है कि वे सामान्य व्यवसाय निधि के रूप में दर्शाते हुए वित्तीय प्रणाली में पुन: प्रवेश करते हैं।

2. उद्देश्य

अपने ग्राहक को जानिये (केवाइसी)/धन शोधन निवारण (एएमएल)/आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध (सीएफटी) करने संबंधी दिशा-निर्देश निर्धारित करने का उद्देश्य प्राधिकृत व्यक्तियों (अब इसके बाद प्राधिकृत व्यक्तियों के रूप में उल्लिखित) द्वारा आपराधिक घटकों से काले धन के शोधन अथवा आतंकवाद वित्तपोषण गतिविधियों के लिए जानबूझकर अथवा अनजाने में अपनायी जानेवाली विदेशी मुद्रा नोटों /

यात्री चेकों की खरीद और /अथवा बिक्री की पद्धति को रोकना है । अपने ग्राहक को जानिये (केवाइसी) क्रियाविधि से प्राधिकृत व्यक्ति अपने ग्राहकों तथा उनके वित्तीय व्यवहारों को बेहतर जान/समझ सकेंगे, जिससे वे अपना जोखिम प्रबंधन विवेकपूर्ण तरीके से कर सकेंगे ।

3. ग्राहक की परिभाषा

अपने ग्राहक को जानिये (केवाइसी) नीति के प्रयोजन के लिए ग्राहक को निम्नानुसार परिभाषित किया जाता है :

- कोई व्यक्ति जो कभी-कभी / नियमित लेनदेन करता है ;
- कोई संस्था जो प्राधिकृत व्यक्ति के साथ कारोबारी संबंध रखती है ;
- कोई एक जिसकी ओर से लेनदेन किया जाता है (अर्थात हिताधिकारी स्वामी)

[भारत सरकार की 12 फरवरी 2010 की अधिसूचना- धन शोधन निवारण नियमावली के नियम 9, उप-नियम (1ए) के आलोक में 'हिताधिकारी स्वामी' का तात्पर्य उस आदमी से है जो किसी ग्राहक या कोई व्यक्ति जिसकी ओर से लेनदेन किये जाते हैं, का अंतत: स्वामी और नियंत्रक है और उसमें वह व्यक्ति भी शामिल है जो विधिक व्यक्ति पर अंतिम रुप से प्रभावी नियंत्रण रखता है]

4. दिशा-निर्देश

4.1 सामान्य

प्राधिकृत व्यक्तियों को यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि लेनदेन करते समय ग्राहकों से जमा की गयी जानकारी गोपनीय रखी जानी है और उसके ब्योरे प्रति बिक्री अथवा उसके जैसे किसी अन्य प्रयोजन के लिए व्यक्त नहीं किये जाने हैं । अत: प्राधिकृत व्यक्तियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ग्राहक से मांगी गयी जानकारी ज्ञात जोखिम से संबंधित है, अनुचित नहीं है और इस संबंध में जारी किये गये दिशा-निर्देशों के अनुसार है । जहाँ कहीं आवश्यक हो ग्राहक से अपेक्षित कोई अन्य जानकारी उसकी सहमति से अलग से माँगी जानी चाहिए ।

4.2 अपने ग्राहक को जानिये नीति

प्राधिकृत व्यक्तियों को निम्नलिखित चार घटकों को ध्यान में रखते हुए अपनी "अपने ग्राहक को जानिये" नीति बनानी चाहिए :

ए) ग्राहक स्वीकृति नीति;

बी) ग्राहक पहचान प्रक्रिया;

सी) लेनदेनों पर निगरानी

डी) जोखिम प्रबंधन

4.3 ग्राहक स्वीकृति नीति (सीएपी)

ए) प्रत्येक प्राधिकृत व्यक्ति को ग्राहकों की स्वीकृति के लिए सुनिश्चित मापदंड निर्धारित करते हुए एक स्पष्ट ग्राहक स्वीकृति नीति विकसित करनी चाहिए । ग्राहक स्वीकृति नीति में यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि प्राधिकृत व्यक्ति के साथ ग्राहक के संबंध के निम्नलिखित पहलुओं पर सुनिश्चित दिशा-निर्देश दिये गये हों :

(i) अज्ञातनाम अथवा काल्पनिक /बेनामी नाम (नामों) से कोई लेनदेन नहीं किया जाता है।

[भारत सरकार की 16 जून 2010 की अधिसूचना -नियम 9, उप-नियम (1सी) के अनुसार प्राधिकृत व्यक्ति ऐसे अज्ञात या काल्पनिक नामों या अन्य व्यक्तियों को लेनदेनों की अनुमति न दें जिनकी पहचान प्रकट न की गयी हो या जिनकी पहचान प्रमाणित/सत्यापित न की जा सकती हो।]

(ii) जोखिम अवधारणा के मापदंड, व्यवसाय गतिविधि का स्वरुप, ग्राहक और उसके मुवक्किल का स्थान, भुगतान का तरीका, टर्नओवर की मात्रा, सामाजिक और वित्तीय स्थिति, आदि के अनुसार स्पष्ट रूप से परिभाषित किये गये हैं, जिससे ग्राहकों को निम्न, मध्यम और उच्च जोखिम वर्ग में वर्गीकृत किया जा सके (प्राधिकृत व्यक्ति कोई यथोचित नामपद्धति अर्थात स्तर ।, स्तर ।। और स्तर ।।। पसंद कर सकते हैं)। ऐसे ग्राहक, अर्थात पोलिटिकली एक्सपोज्ड पर्सन (पीइपीएस) जिनके लिए उच्च स्तर की मॉनीटरिंग की आवश्यकता है, अधिक उच्चतर श्रेणी में भी वर्गीकृत किये जा सकते हैं ।

(iii) धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2009 द्वारा यथासंशोधित धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002, धन शोधन निवारण (लेनदेनों के स्वरूप और मूल्य (लागत) संबंधी अभिलेखों का रखरखाव, रखरखाव की प्रक्रिया और पद्धति तथा जानकारी प्रस्तुत करने के लिए समय और बैंकिंग कंपनियों, वित्तीय संस्थानों और मध्यवर्ती संस्थाओं के ग्राहकों की पहचान के अभिलेखों का सत्यापन और रखरखाव) नियम, 2005 तथा उसके साथ-साथ, समय समय पर, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी अनुदेशों/दिशा-निर्देशों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, संभावित जोखिम के आधार पर ग्राहकों की विभिन्न श्रेणियों से अपेक्षित कागजात तथा अन्य जानकारी एकत्रित करना।

(iv) जिन मामलों में प्राधिकृत व्यक्ति यथोचित ग्राहक सावधानी उपाय लागू नहीं कर सकता है अर्थात प्राधिकृत व्यक्ति पहचान सत्यापित नहीं कर सकता है और / अथवा ग्राहक के असहयोग अथवा प्राधिकृत व्यक्ति को प्रस्तुत किये गये आँकड़े/जानकारी की अविश्वसनीयता के कारण जोखिम वर्गीकरण के अनुसार आवश्यक दस्तावेज प्राप्त नहीं कर सकता है, ऐसे मामलों में लेनदेन नहीं किया जाना चाहिए । तथापि, यह आवश्यक है कि ग्राहक को होने वाली अनावश्यक परेशानी टालने के लिए यथोचित नीति बनायी जाए। ऐसी स्थितियों/मामलों में जहाँ प्राधिकृत व्यक्ति को विश्वास हो कि वह ग्राहक (व्यक्ति/बिजिनेस इंटिटी) की सच्ची पहचान से संतुष्ट नहीं हो सकता है, वहां वह तत्संबंध में वित्तीय आसूचना एकक-भारत (फआइयु-आइएनडी) के पास एसटीआर फाइल करे ।

(v) जिस परिस्थिति में ग्राहक को दूसरे व्यक्ति/दूसरी संस्था की ओर से कार्य करने की अनुमति दी जाती है उस परिस्थिति का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाना चाहिए, लाभाधिकारी स्वामी की पहचान की जानी चाहिए और उसकी पहचान के सत्यापन के लिए सभी संभव कदम उठाये जाने चाहिए।

बी) प्राधिकृत व्यक्तियों को, जब कारोबारी संबंध स्थापित होते हैं तब, जोखिम वर्गीकरण के आधार पर प्रत्येक ग्राहक का प्रोफाइल बनाना चाहिए । ग्राहक प्रोफाइल में ग्राहक की पहचान, उसके निधियों के स्रोत, सामाजिक /वित्तीय स्थिति, कारोबारी गतिविधि का स्वरुप, उसके मुवक्किल का व्यवसाय और उसके स्थान संबंधी जानकारी निहित होनी चाहिए । यथोचित सावधानी का स्वरुप और सीमा प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा सौंपी गयी जोखिम पर आधारित होगी । तथापि, ग्राहक प्रोफाइल तैयार करते समय प्राधिकृत व्यक्तियों ने ग्राहक से केवल वही जानकारी मांगने पर ध्यान देना चाहिए जो जोखिम की श्रेणी से संबंधित है । ग्राहक प्रोफाइल एक गोपनीय दस्तावेज है और उसमें निहित ब्योरे आदान-प्रदान अथवा किसी अन्य प्रयोजन के लिए व्यक्त नहीं किये जाने चाहिए ।

सी) जोखिम वर्गीकरण के प्रयोजन के लिए, ऐसे व्यक्तिविशेष (उच्च निवल मालियत से भिन्न) और संस्थाएं, जिनकी पहचान और संपत्ति के स्रोत आसानी से जाने जा सकते हैं और सब मिलाकर जिनके द्वारा किये गये लेनदेन ज्ञात प्रोफाइल के अनुरुप हैं, उन्हें निम्न जोखिम के रूप में वर्गीकृत किया जाए। ऐसे ग्राहक, जो औसतन जोखिम से उच्चतर जोखिम वाले प्रतीत होते हैं, उन्हें ग्राहक की पृष्ठभूमि, गतिविधि का स्वरुप और स्थान, मूल देश, निधियों के स्रोत और उसके मुवक्किल के प्रोफाइल, आदि के आधार पर मध्यम अथवा उच्च जोखिम के रूप में वर्गीकृत किया जाए। प्राधिकृत व्यक्तियों को जोखिम निर्धारण पर आधारित वृध्दिगत किये गये यथोचित सावधानी के उपाय लागू करने चाहिए, जिसके लिए उच्चतर जोखिम ग्राहकों,

विशेषत: जिनकी निधियों के स्त्रोत ही स्पष्ट नहीं हैं, के संबंध में गहन यथोचित सावधानी की आवश्यकता होगी। वृध्दिगत अपेक्षित यथोचित सावधानी वाले ग्राहकों के उदाहरणों में (ए) अनिवासी ग्राहक; (बी) ऐसे देशों के ग्राहक जो वित्तीय कार्रवाई कार्यदल मानक लागू नहीं करते हैं अथवा अपर्याप्त रूप से लागू करते हैं ; (सी) उच्च निवल मालियत वाले व्यक्ति विशेष; (डी) ट्रस्ट, धर्मादा संस्था, गैर सरकारी संगठन और दान प्राप्तकर्ता संगठन; (ई) नजदीकी परिवारिक शेयरधारिता अथवा लाभार्थी स्वामित्ववाली कंपनियां; (एफ) निष्क्रिय भागीदारी वाले फर्म्स; (जी) राजनयिक (पोलिटिकली एक्सपोज्ड पर्सन) (पीईपी); (एच) सामने न होने वाले ग्राहक; और (आई) उपलब्ध आम जानकारी के अनुसार सन्दिग्ध प्रतिष्ठा वाले ग्राहक, आदि शामिल हैं। तथापि, युनाइटेड नेशन्स अथवा उसकी एजेंसियों द्वारा प्रवर्तित एनपीओएस/ गैर सरकारी संगठन ही निम्न जोखिम ग्राहक के रूप में वर्गीकृत किये जाएं ।

(डी) यह बात ध्यान में रखनी महत्वपूर्ण है कि ग्राहक स्वीकृति नीति अपनाना तथा उसका कार्यान्वयन करना अत्यंत नियामक नहीं होना चाहिए और आम जनता को मुद्रा परिवर्तन संबंधी सेवाओं से नकारा नहीं जाना चाहिए ।

4.4 ग्राहक पहचान प्रक्रिया (सीआइपी)

ए) प्राधिकृत व्यक्तियों के बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति में विभिन्न स्तरों पर अर्थात कारोबारी संबंध स्थापित करते समय; वित्तीय लेनदेन करते समय अथवा प्राधिकृत व्यक्ति से पूर्व में प्राप्त ग्राहक पहचान संबंधी आंकड़ों की प्रामाणिकता/यथातथ्यता अथवा पर्याप्तता के बारे में संदेह के बाबत ग्राहक पहचान प्रक्रिया स्पष्ट रूप से तैयार की जानी चाहिए। ग्राहक पहचान का अर्थ ग्राहक को पहचानना और विश्वसनीय, स्वतंत्र स्त्रोत दस्तावेज, आंकड़े अथवा जानकारी का उपयोग करते हुए उनकी पहचान सत्यापित करना है। प्राधिकृत व्यक्तियों को प्रत्येक नये ग्राहक की पहचान स्थापित करने, उनकी संतुष्टि होने तक पर्याप्त आवश्यक जानकारी प्राप्त करने की आवश्यकता होती है भले ही संबंध प्रासंगिक अथवा कारोबारी हों, और संबंधों के अभिप्रेत स्वरूप का प्रयोजन चाहे जो हो। संतुष्ट होने का अर्थ है कि प्राधिकृत व्यक्ति सक्षम प्राधिकारियों को इस बात से संतुष्ट करा सकें कि मौजूदा दिशा-निर्देशों के अनुसार ग्राहक की जोखिम प्रोफाइल के आधार पर यथोचित सावधानी बरती गयी थी । इस प्रकार जोखिम आधारित दृष्टिकोण प्राधिकृत व्यक्तियों को असमानुपातिक लागत और ग्राहकों के लिए बोझिल व्यवस्था टालने के लिए आवश्यक है ।

जोखिम बोध के अतिरिक्त, अपेक्षित जानकारी/दस्तावेजों का स्वरुप ग्राहक (व्यक्तिगत, कंपनी, आदि) के प्रकार पर भी निर्भर होगा । ऐसे ग्राहकों के लिए जो साधारण व्यक्ति हैं, प्राधिकृत व्यक्तियों को ग्राहक की पहचान और उसका पता / स्थान का सत्यापन करने के लिए पर्याप्त पहचान दस्तावेज प्राप्त करने चाहिए । ऐसे ग्राहकों के लिए जो विधिक व्यक्तिविशेष अथवा संस्थाएं हैं, प्राधिकृत व्यक्ति को (i) यथोचित और संबंधित दस्तावेजों के जरिये विधिक व्यक्ति/संस्था की विधिक स्थिति सत्यापित करनी चाहिए; (ii) विधिक व्यक्ति/संस्था की ओर से कार्य करनेवाला कोई व्यक्ति ऐसा करने के लिए प्राधिकृत है तथा उस व्यक्ति की पहचान सत्यापित करनी चाहिए; और (iii) ग्राहक का स्वामित्व और नियंत्रण संरचना समझनी चाहिए और निर्धारित करना चाहिए कि साधारण व्यक्ति कौन हैं जो विधिक व्यक्ति का आखिरकार नियंत्रण करता है। प्राधिकृत व्यक्तियों के दिशा-निर्देश के लिए कुछ विशिष्ट मामलों के संबंध में ग्राहक पहचान अपेक्षाएं, विशेषत:, विधिक व्यक्तियों, जिनके बारे में और अधिक सतर्कता की आवश्यकता है, नीचे पैराग्राफ 4.5 में दी गयी हैं। तथापि, प्राधिकृत व्यक्ति, ऐसे व्यक्तियों/संस्थाओं के साथ कार्य करते समय प्राप्त अपने अनुभव, अपने सामान्य विवेक और स्थापित परंपराओं के अनुसार विधिक अपेक्षाओं के आधार पर अपने निजी आंतरिक दिशा-निर्देश तैयार करें। यदि प्राधिकृत व्यक्ति ऐसे लेनदेन ग्राहक स्वीकृति नीति के अनुसार करना निर्धारित करता है तो प्राधिकृत व्यक्ति को लाभार्थी स्वामी (स्वामियों) की पहचान करने के लिए यथोचित उपाय इस प्रकार करने चाहिए ताकि वह इस बात से संतुष्ट हो सके कि वह लाभार्थी स्वामी को जानता है [भारत सरकार की 16 जून 2010 की अधिसूचना -नियम 9, उप-नियम (1ए)]।

टिप्पणी: धन शोधन निवारण नियमावली, 2005 के नियम 9 (1ए) में यह अपेक्षा की गयी है कि मुद्रा परिवर्तन संबंधी गतिविधि करने वाले प्रत्येक प्राधिकृत व्यक्ति को मुद्रा परिवर्तन संबंधी कारोबार करते समय लाभार्थी स्वामी (beneficial

owner) की पहचान करनी चाहिए और उसकी पहचान सत्यापित करने के लिए सभी उचित कदम उठाने चाहिए। "लाभार्थी स्वामी" (beneficial owner) उस साधारण व्यक्ति (natural person) के रूप में परिभाषित किया गया है जो आखिरकार ग्राहक का स्वामित्व और नियंत्रण करता है और/अथवा ऐसा व्यक्ति, जिसकी ओर से लेनदेन किया जा रहा है, और इसमें ऐसा व्यक्ति समाविष्ट है जो विधिक व्यक्ति का आखिरकार नियंत्रण करता है। भारत सरकार ने अब मामले की जाँच की है और लाभार्थी स्वामी (beneficial owner) के निर्धारण के लिए क्रियाविधि विनिर्दिष्ट की है। भारत सरकार द्वारा सूचित की गयी क्रियाविधि निम्नवत है:

ए. यदि ग्राहक व्यक्ति (individual)l अथवा ट्रस्ट से भिन्न व्यक्ति हो, तो प्राधिकृत व्यक्ति निम्नलिखित जानकारी के जरिये ग्राहक के लाभार्थी स्वामियों (beneficial owners) की पहचान करेगा और ऐसे व्यक्तियों की पहचान सत्यापित करने/प्रामाणिकता के लिए सभी उचित कदम उठाएगा:

(i) साधारण व्यक्ति (natural person) की पहचान अकेले अथवा साथ में, अथवा एक अथवा अधिक विधिक व्यक्ति/व्यक्तियों के जरिये कार्य करने वाले उस व्यक्ति के रूप में की जाती है जो स्वामित्व के जरिये नियंत्रण करता है अथवा जिसका आखिरकार नियंत्रक स्वामित्व संबंधी हित होता है।

स्पष्टीकरण: नियंत्रक स्वामित्व संबंधी हित का अभिप्राय - विधिक व्यक्ति के कंपनी होने के मामले में उसके शेयर या पूँजी य़ा लाभ के 25 प्रतिशत से अधिक के स्वामित्व/की पात्रता से है; साझेदारी (फर्म) होने के मामले में, उसकी पूंजी या उसके लाभ के 15% से अधिक के स्वामित्व/की पात्रता से है; अथवा अनिगमित संघ या व्यक्तियों का निकाय होने के मामले में उसकी संपत्ति या पूंजी या लाभ के 15% से अधिक के स्वामित्व/की पात्रता से है।

(ii) ऐसे मामलों में जहां उपर्युक्त मद (i) के संबंध में संदेह हो कि नियंत्रक स्वामित्व हित वाला व्यक्ति लाभार्थी स्वामी है या नहीं अथवा जहां स्वामित्व हित के माध्यम से नियंत्रण रखने वाला, कोई साधारण (नैचुरल) व्यक्ति न हो, वहां अन्य माध्यमों से विधिक व्यक्ति पर नियंत्रण रखने वाले साधारण (नैचुरल) व्यक्ति की पहचान की जाए।

स्पष्टीकरण: अन्य साधनों से नियंत्रण किया जा सकता है जैसे मताधिकार, करार, व्यवस्था (प्रबंधन), आदि।

(iii) जहाँ उल्लिखित मद (i) अथवा (ii) के तहत साधारण (नैचुरल) व्यक्ति की पहचान नहीं की जा सकती है, वहाँ वरिष्ठ प्रबंध अधिकारी का पद धारण करने वाले व्यक्ति की पहचान संबंधित साधारण (नैचुरल) व्यक्ति के रूप में की जाएगी।

बी) जहां ग्राहक कोई ट्रस्ट है, वहां प्राधिकृत व्यक्ति ग्राहक के लाभार्थी स्वामियों (beneficial owners) की पहचान करेगा और ऐसे व्यक्तियों की पहचान सत्यापित करने के लिए उचित कदम उठाएगा जिनमें ट्रस्ट के व्यवस्थापक (settler), ट्रस्टी, संरक्षक, ट्रस्ट में 15% अथवा उससे अधिक हितों के लाभार्थी और नियंत्रण अथवा स्वामित्व की श्रृंखला के माध्यम से ट्रस्ट पर प्रभावी नियंत्रण रखने वाले अन्य व्यक्ति की पहचान शामिल है ।

सी) जहाँ ग्राहक अथवा नियंत्रक हित का/की स्वामी कोई कंपनी है जो स्टाक एक्स्चेंज में सूचीबद्ध है, अथवा ऐसी ही किसी कंपनी द्वारा प्रमुख रूप से स्वामित्व धारित सहायक कंपनी है तो ऐसी कंपनियों के शेयरहोल्डर अथवा लाभार्थी स्वामी (beneficial owner) की पहचान करने और उसके सत्यापन की आवश्यकता नहीं है ।

बी) कुछ नजदीकी रिश्तेदारों को, अर्थात पत्नी, पुत्र, पुत्री और माता-पिता, आदि जो उनके पति, पिता/माता और पुत्र, जैसी भी स्थिति हो, के साथ रहते हैं, तो प्राधिकृत व्यक्तियों के साथ लेनदेन करना कठिन हो सकता है क्योंकि पते के सत्यापन के लिए आवश्यक उपयोगिता बिल उनके नाम में नहीं होगा। यह स्पष्ट किया जाता है कि ऐसे मामलों में प्राधिकृत व्यक्ति, भावी ग्राहक जिस रिश्तेदार के साथ रहता है उससे इस घोषणापत्र के साथ कि लेनदेन करने के लिए इच्छुक व्यक्ति वही व्यक्ति (भावी ग्राहक) है उसके पहचान दस्तावेज और उपयोगिता बिल प्राप्त कर सकते हैं। प्राधिकृत व्यक्ति पते के और सत्यापन के

लिए डाक द्वारा प्राप्त पत्र जैसे अनुपूरक साक्ष्य का उपयोग कर सकते हैं। इस विषय पर शाखाओं को परिचालनगत अनुदेश जारी करते समय, प्राधिकृत व्यक्तियों को रिज़र्व बैंक द्वारा जारी अनुदेशों का भाव ध्यान में रखना चाहिए और ऐसे व्यक्तियों, जो अन्यथा कम जोखिमवाले ग्राहकों के रूप में वर्गीकृत किये गये हैं, को होने वाली अनावश्यक कठिनाइयों को टालना चाहिए।

सी) प्राधिकृत व्यक्तियों को यदि कारोबारी संबंध बने रहते है तो ग्राहक पहचान डाटा (फोटोग्राफ/ फोटोग्राफों सहित) आवधिक रूप से अद्यतन करने की एक प्रणाली बनानी चाहिए।

डी) ग्राहक पहचान के लिए जिन कागजातों/ जानकारी पर विश्वास किया जाना चाहिए, उनके प्रकार और स्वरुप की एक निर्देशक सूची इस परिपत्र के **संलग्नक –I के भाग-बी** में दी गयी है। यह स्पष्ट किया जाता है कि **संलग्नक –I के भाग-बी** में उल्लिखित सही स्थायी पते का अर्थ है कि व्यक्ति सामान्यत: उस पते पर रहता है और ग्राहक के पते के सत्यापन के लिए प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा उपयोगिता बिल अथवा स्वीकृत कोई अन्य कागजात में उल्लिखित पते के रूप में लिया जा सकता है। जब धन शोधन अथवा आतंकवाद से संबंधित गतिविधि के वित्तपोषण का शक/संदेह हो अथवा जहाँ पहले से प्राप्त ग्राहक पहचान संबंधी डाटा की पर्याप्तता अथवा यथातथ्यता के बारे में संदेह हो, तो प्राधिकृत व्यक्ति समुचित सावधानी संबंधी उपायों की पुनरीक्षा करेगा, जिसमें मुवक्किल की पहचान फिर से सत्यापित करना तथा व्यवसाय संबंध के प्रयोजन और अभिप्रेत स्वरूप पर जानकारी प्राप्त करना, जैसी भी स्थिति हो, का समावेश होगा [भारत सरकार की 16 जून 2010 की अधिसूचना –धन शोधन निवारण नियमावली का नियम 9, उप-नियम (1डी)]।

ई) ग्राहकों से विदेशी मुद्रा की खरीद

(i) ग्राहकों से 50,000/- अथवा उसके समतुल्य रुपये से कम राशि के विदेशी मुद्रा नोटों और/ अथवा चेकों की खरीद के लिए पहचान कागजातों की फोटोकापियाँ प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है। तथापि, पहचान कागजातों के पूरे ब्योरे बनाये रखे जाने चाहिए। यदि प्राधिकृत व्यक्ति को यह विश्वास करने का कारण हो कि ग्राहक लेनदेन की न्यूनतम 50,000/- की सीमा से कम के लेनदेन दिखाने के लिए उन्हें जानबूझकर कम राशि के श्रृंखलाबद्ध लेनदेन ढांचे मे परिवर्तित कर रहा है तो प्राधिकृत व्याक्ति ऐसे ग्राहक की पहचान और पते को सत्यापित करे तथा तत्संबंध में वित्तीय आसूचना एकक-भारत (फआइयु-आइएनडी) के पास एसटीआर फाइल करने पर भी विचार करे।

(ii) ग्राहकों से 50,000/- अथवा उसके समतुल्य रुपये से अधिक राशि के विदेशी मुद्रा नोटों और/ अथवा चेकों की खरीद के लिए इस परिपत्र के **संलग्नक–I का भाग-बी** में उल्लेख किये गये अनुसार, पहचान कागजातों का सत्यापन किया जाए तथा उसकी एक प्रति रखी जाए।

(iii) (ए) निवासी ग्राहकों से विदेशी मुद्रा नोटों और/ अथवा यात्री चेकों की खरीद के लिए उन्हें भारतीय रुपयों में नकद में भुगतान के लिए अनुरोधों का प्रति लेनदेन केवल 1000 अमरीकी डॉलर अथवा उसके समतुल्य की सीमा तक के लिए स्वीकार किया जा सकता है।

(बी) विदेशी पर्यटकों/ अनिवासी भारतीयों द्वारा 3000 अमरीकी डॉलर अथवा उसके समतुल्य तक की सीमा तक नकद में भुगतान के लिए अनुरोधों का स्वीकार किया जा सकता है।

(सी) एक महीने के भीतर की गयी सभी खरीद उपर्युक्त प्रयोजन और रिपोर्टिंग प्रयोजनों के लिए एकल लेनदेन के रूप में समझी जाए।

(डी) अन्य सभी मामलों में, प्राधिकृत व्यक्तियों को केवल 'आदाता खाता' चेक/ डिमांड ड्राफ्ट के रूप में भुगतान करना चाहिए।

(iv) जब अनिवासी अथवा विदेश से लौटने वाले व्यक्ति द्वारा नकदीकरण के लिए प्रस्तुत की गयी विदेशी मुद्रा की राशि मुद्रा घोषणा पत्र फॉर्म(सीडीएफ) के लिए निर्धारित सीमाओं से अधिक होती है तो प्राधिकृत मुद्रा परिवर्तक सीडीएफ में घोषणापत्र के प्रस्तुतीकरण के लिए अनिवार्य रूप से जोर दें ।

(v) किसी संदेहास्पद काले धन के शोधन अथवा आतंकवादी निधीयन के मामले में, निहित राशि पर ध्यान दिये बिना, ग्राहक पहचान संबंधी बढ़ाये गये यथोचित उपाय लागू किए जाएं। जब धन शोधन निवारण या आतंकवाद के वित्तपोषण का संदेह हो या जब अन्य कारक इस बात का विश्वास कराएं कि ग्राहक वास्तव में कम जोखिम वाला नहीं है तो प्राधिकृत व्याक्ति ग्राहक के साथ किसी लेनदेन से पूर्व ग्राहक संबंधी समुचित सावधानी बरतने के पूरे मानदंडों के अनुसार जाँच सुनिश्चित करे ।

एफ) ग्राहकों को विदेशी मुद्रा की बिक्री

(i) **राशि पर ध्यान दिये बिना विदेशी मुद्रा के बिक्री के सभी मामलों में** पहचान के लिए ग्राहक के पारपत्र पर जोर दिया जाए और विदेशी मुद्रा की बिक्री केवल वैयक्तिक आवेदनपत्र और पहचान दस्तावेजों के सत्यापन पर ही की जाएगी। पहचान दस्तावेजों की एक प्रति प्राधिकृत व्यक्तियों द्वारा रखी जानी चाहिए।

(ii) विदेशी मुद्रा की बिक्री के संबंध में रु.50,000/- से अधिक भुगतान केवल आवेदक का रेखांकित चेक / आवेदक की यात्रा प्रायोजित करने वाली फर्म/कंपनी के बैंक खाते पर आहरित रेखांकित चेक / बैंकर्स चेक / भुगतान आदेश / मांग ड्राफ्ट द्वारा ही प्राप्त किया जाना चाहिए । ऐसे भुगतान डेबिट कार्ड/क्रेडिट कार्ड/प्रीपेड कार्ड के जरिये भी प्राप्त किये जा सकते हैं बशर्ते (ए) अपने ग्राहक को जानिये / धन शोधन निवारण दिशा-निर्देशों का अनुपालन किया गया हो, (बी) विदेशी मुद्रा की बिक्री / विदेशी मुद्रा में जारी किये गये यात्री चेक बैंक द्वारा निर्धारित सीमाओं (क्रेडिट/प्रीपेड कार्डस्) के भीतर हों, (सी) विदेशी मुद्रा/विदेशी मुद्रा यात्री चेक का खरीददार और क्रेडिट/डेबिट/ प्रीपेड कार्ड धारक एक ही व्यक्ति हो ।

(iii) इस प्रयोजन और रिपोर्टिंग प्रयोजनों के लिए एक महीने अर्थात 30 दिनों के भीतर किसी व्यक्ति द्वारा की गयी सभी खरीद एकल लेनदेन के रूप में मानी जाए । विदेशी मुद्रा की बिक्री के संबंध किसी व्यक्ति को उसके/उसकी पात्रता में 30 दिनों में एक आहरण से अधिक अथवा विदेश में एक यात्रा/भेंट के लिए, प्राधिकृत व्यक्ति दूसरा अथवा अनुवर्ती भुगतान यात्रा प्रायोजित करने वाली फर्म/कंपनी के बैंक खाते पर आहरित रेखांकित चेक / बैंकर्स चेक/भुगतान आदेश / मांग ड्राफ्ट डेबिट कार्ड/क्रेडिट कार्ड/प्रीपेड कार्ड के जरिये ही प्राप्त कर सकता है, यदि कुल रुपये का भुगतान, पूर्ववर्ती भुगतान सहित, रु.50,000/- से अधिक दूसरा अथवा अनुवर्ती आहरण हो।

(iv) जहां आवश्यक हो नकदीकरण प्रमाणपत्र पर जोर दिया जाए ।

जी) व्यवसाय संबंध स्थापित करना

कंपनी/फर्म/ट्रस्ट और फाउंडेशन जैसी किसी व्यवसाय संस्था के साथ संबंध केवल इस परिपत्र के **संलग्नक–I का भाग-बी** में बताये गये अनुसार यथोचित दस्तावेज प्राप्त करने तथा सत्यापित करने पर ही स्थापित किये जाने चाहिए। सत्यापन के लिए मांगे गये सभी दस्तावेजों की प्रतियां अभिलेख में रखी जानी चाहिए। प्राधिकृत व्यक्तियों को व्यवसाय संबंध का प्रयोजन और अभिप्रेत स्वरुप की जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। प्राधिकृत व्यक्तियों को प्रत्येक ग्राहक के साथ व्यवसायिक संबंधों में यथोचित सावधानी बरतनी/रखनी चाहिए और यह सुनिश्चित करने के लिए लेनदेनों की ठीक से जाँच करनी चाहिए कि वे अपने ग्राहक, उनका व्यवसाय और जोखिम प्रोफाइल की जानकारी रखते हैं । प्राधिकृत व्यक्तियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ग्राहक संबंधी यथोचित सावधानी प्रक्रिया के तहत प्राप्त किये गये दस्तावेज, डाटा अथवा जानकारी अद्यतन और मौजूदा अभिलेखों, विशेषत: उच्चतर जोखिम श्रेणी के ग्राहकों और व्यवसाय संबंधों की समीक्षा करते हुए तैयार रखी जाती है

। जब व्यवसाय संबंध पहले से मौजूद है और व्यवसाय संबंध में ग्राहक के बारे में यथोचित सावधानी बरतनी संभव नहीं है तो प्राधिकृत व्यक्तियों को व्यवसाय संबंध समाप्त करने चाहिए और एफआइयु-आइएनडी को संदेहास्पद लेनदेन रिपोर्ट करने चाहिए। उन परिस्थितियों में जब प्राधिकृत व्यक्ति को विश्वास हो कि वह ग्राहक (व्यक्ति/बिजिनेस एंटिटी) के संबंध में संतुष्ट नहीं हो पा रहा है तो वह वित्तीय आसूचना एकक-भारत (फआइयु-आइएनडी) के पास एसटीआर फाइल करे।

एच) भारत सरकार की अधिसूचना के तहत आधिकारिक रूप से वैध दस्तावेज

i. भारत सरकार की अधिसूचना के अनुसार भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) द्वारा जारी कागजी आधार कार्ड/पत्र जिसमें नाम, पता और आधार संख्या दी गई हो, को 'आधिकारिक रूप से वैध दस्तावेज' के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। यदि ग्राहक द्वारा दिया गया पता और आधार पत्र में दिया गया पता दोनों एक ही हों तो उसे पहचानपत्र एवं पते दोनों के प्रमाण के रूप में स्वीकार किया जा सकता है।

ii. यूआईडीएआई की ई-केवायसी सेवा को पीएमएल नियमावली के अंतर्गत केवाईसी प्रमाणीकरण की वैध प्रक्रिया के रूप में स्वीकार किया जाए। ई-केवायसी प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) द्वारा उपलब्ध कराए गए जन सांख्यिकीय विवरण और फोटोग्राफ वाली सूचना को आधिकारिक रूप से वैध दस्तावेज माना जाए। तथापि, व्यक्तिगत उपयोगकर्ता को यूआईडीएआई को स्पष्ट अनुमति देकर प्राधिकृत करना होगा कि बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के माध्यम से प्राधिकृत व्यक्ति को उसकी पहचान/उसका पता दिया जाए।

iii. इसके अतिरिक्त, यूआईडीएआई की वेबसाइट से डाउनलोड किए गए ई-आधार को निम्नलिखित शर्तों के अधीन आधिकारिक रूप से वैध दस्तावेज के रूप में स्वीकार किया जा सकता है :

ए. यदि भावी ग्राहक को केवल उसकी आधार संख्या ज्ञात हो तो प्राधिकृत व्यक्ति भावी ग्राहक के ई-आधार को यूआईडीएआई पोर्टल से सीधे प्रिंट कर सकता है; या उपर्युक्त पैरा बी में दी गई प्रक्रिया को अपना सकता है।

बी. यदि भावी ग्राहक कहीं अन्यत्र से डाउनलोड किए गए अपने ई-आधार की प्रति लाता है, तो प्राधिकृत व्यक्ति भावी ग्राहक के ई-आधार को यूआईडीएआई पोर्टल से सीधे प्रिंट कर सकता है; या उपर्युक्त पैरा बी में दी गई प्रक्रिया को अपना सकता है; अथवा यूआईडीएआई की सरल प्रमाणीकरण सेवा का उपयोग करते हुए निवासी की पहचान एवं पते की पुष्टि कर सकता है।

4.5 ग्राहक पहचान आवश्यकताएं - निदर्शी दिशा-निर्देश

i) ट्रस्ट/नामिती अथवा न्यासी ग्राहकों द्वारा लेनदेन

यह संभव है कि ग्राहक पहचान प्रक्रिया में ट्रस्ट/ नामिती अथवा न्यासी सबंधों का उपयोग धोखा देने के लिए किया जा सकता है । प्राधिकृत व्यक्तियों को यह ज्ञात करना चाहिए कि क्या ग्राहक, ट्रस्टी/ नामिती अथवा किसी अन्य मध्यवर्ती संस्था के रूप में किसी अन्य व्यक्ति की ओर से कार्य करता है अथवा नहीं । यदि ऐसा करता है तो प्राधिकृत व्यक्तियों को मध्यवर्ती संस्था और जिनकी ओर से कार्य किया जाता है ऐसे व्यक्ति की पहचान के संतोषजनक दस्तावेज की प्राप्ति पर जोर देना चाहिए तथा ट्रस्ट अथवा अन्य व्यवस्थाओं के स्वरुप के विस्तृत ब्योरे प्राप्त करने चाहिए । किसी ट्रस्ट के लिए लेनदेन किये जाते समय, प्राधिकृत व्यक्तियों को ट्रस्टी और ट्रस्ट के सेटलर्स (ट्रस्ट में आस्तियाँ सेटल करने वाले किसी व्यक्ति सहित), अनुदानकर्ताओं, संरक्षकों हिताधिकारियों और हस्ताक्षरकर्ताओं की पहचान सत्यापित करने के लिए यथोचित सावधानी

बरतनी चाहिए। सभी मामलों में हिताधिकारी आवश्यक दस्तावेजों के संबंध में पहचाने जाने चाहिए। 'फाउंडेशन' के मामले में, फाउंडर प्रबंधकों / निदेशकों और हिताधिकारियों का सत्यापन किये जाने के लिए कार्रवाई की जानी चाहिए।

ii) कंपनी और फर्मों द्वारा लेनदेन

प्राधिकृत व्यक्तियों को, प्राधिकृत व्यक्तियों के साथ लेनदेन करने के लिए एक 'फ्रंट' के रूप में किसी व्यक्ति विशेषों द्वारा उपयोग की जा रही व्यवसाय संस्थाओं के संबंध में सतर्क रहने की आवश्यकता है। प्राधिकृत व्यक्तियों को संस्था के नियंत्रण ढांचे की जाँच करनी चाहिए, निधियों के स्त्रोत निर्धारित करने चाहिए तथा ऐसे व्यक्तियों को पहचानना चाहिए जो नियंत्रणकर्ता के रूप में कार्य करने के लिए इच्छुक हैं और जो प्रबंधन में हैं। इन अपेक्षाओं में जोखिम बोध (पर्सेप्शन) की दृष्टि से कुछ परिवर्तन किये जा सकते हैं अर्थात मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्स्चेंज में सूचीबद्ध किसी कंपनी के मामले में , सभी शेयरधारकों को पहचानने की आवश्यकता नहीं होगी।

iii) राजनयिकों (पोलिटिकली एक्स्पोज़्ड पर्सन्स) (पीईपी) द्वारा लेनदेन

राजनयिक व्यक्ति वे हैं जिन्हें विदेशों में प्रमुख सार्वजनिक कार्य सौंपे गये हैं अर्थात राज्यों अथवा सरकारों के प्रमुख, वरिष्ठ राजनयिक, वरिष्ठ सरकारी/ न्यायिक/ सेना अधिकारी, सरकारी स्वामित्ववाले निगमों के वरिष्ठ कार्यकारी अधिकारी, महत्वपूर्ण राजनयिक पार्टी के अधिकारी, आदि। प्राधिकृत व्यक्तियों को लेनदेन करने अथवा व्यवसाय संबंध स्थापित करने के इच्छुक श्रेणी के किसी व्यक्ति/ ग्राहक की पर्याप्त जानकारी प्राप्त करनी चाहिए और उस व्यक्ति की पब्लिक डोमेन पर उपलब्ध सभी जानकारी की जांच करनी चाहिए। प्राधिकृत व्यक्तियों को उस व्यक्ति की पहचान सत्यापित करनी चाहिए और ग्राहक के रूप में राजनयिकों को स्वीकृत करने से पहले संपत्ति के स्रोतों और निधियों के स्रोतों के बारे में जानकारी मांगनी चाहिए। राजनयिकों के साथ लेनदेन करने का निर्णय वरिष्ठ स्तर पर लिया जाना चाहिए और ग्राहक स्वीकृति नीति में उसका उल्लेख स्पष्ट रूप से करना चाहिए। प्राधिकृत व्यक्तियों को ऐसे लेनदेनों पर सतत आधार पर निगरानी रखनी चाहिए। उपर्युक्त मानदंड राजनयिकों के परिवार के सदस्यों अथवा नजदीकी रिश्तेदारों के साथ किए जाने वाले लेनदेनों के लिए भी लागू किये जाएं। उपर्युक्त मानदंड ऐसे ग्राहकों पर भी लागू किये जाएं जो व्यवसाय संबंध स्थापित करने के बाद पीईपी बन जाते हैं।

जब पहले से व्यवसाय संबंध स्थापित कोई ग्राहक बाद में राजनयिक बनता है तो ऐसे ग्राहकों के संबंध में यथोचित बढ़ाए गए ग्राहक पहचान संबंधी उपाय (सीडीडी) किए जाने चाहिए और राजनयिक के साथ व्यवसाय संबंध बनाये रखने का निर्णय काफी वरिष्ठ स्तर पर लिया जाना चाहिए। ये अनुदेश ऐसे व्यक्तिगत लेनदेनों/व्यवसाय संबंध के लिए भी लागू हैं जहाँ कोई राजनयिक अंतत: हिताधिकारी स्वामी है। इसके अतिरिक्त, राजनयिकों के मामले में व्यक्तिगत लेनदेनों/व्यवसाय संबंध के बारे में, यह दोहराया जाता है कि प्राधिकृत व्यक्तियों के पास राजनयिकों, ग्राहक जो राजनयिकों के परिवार के सदस्य अथवा नजदीकी रिश्तेदार हैं और ऐसे व्यक्तिगत लेनदेनों/व्यवसाय संबंध जिसके लिए कोई राजनयिक अंतत: हिताधिकारी स्वामी है, को पहचानने तथा यथोचित बढ़ाए गए ग्राहक संबंधी उपाय (सीडीडी) करने के लिए उचित निरंतर जोखिम प्रबंध क्रियाविधि का पालन होना चाहिए।

4.6 लेनदेनों की निगरानी

अपने ग्राहक को जानिये की प्रभावी क्रियाविधि का अत्यंत आवश्यक घटक सतत निगरानी रखना है। प्राधिकृत व्यक्ति अपने जोखिम केवल तभी प्रभावी रूप से नियंत्रित और कम कर सकेंगे जब उन्हें ग्राहक के सामान्य और यथोचित कार्यकलाप के संबंध में जानकारी होगी और उनके पास ऐसे लेनदेनों की पहचान करने के लिए साधन उपलब्ध होंगे जो कार्यकलाप के नियमित पैटर्न से अलग है। तथापि, निगरानी की सीमा लेनदेन की जोखिम संवेदनशीलता पर निर्भर होंगी। प्राधिकृत व्यक्तियों को सभी जटिल, असामान्यत: बड़े लेनदेन और सभी असामान्य पैटर्न पर विशेष ध्यान देना चाहिए जिनका कोई प्रत्यक्ष आर्थिक और प्रत्यक्ष विधिक प्रयोजन नहीं है। प्राधिकृत व्यक्ति लेनदेन की विशिष्ट श्रेणी के लिए प्रारंभिक सीमा निर्धारित करें और इन सीमाओं से अतिरिक्त लेनदेनों पर विशेष रूप से ध्यान दें। उच्च-जोखिम लेनदेन, गहन निगरानी की शर्त पर किये जाने चाहिए। प्रत्येक प्राधिकृत व्यक्ति को ग्राहक की पृष्ठभूमि जैसे मूल देश, निधियों के स्त्रोत, निहित लेनदेनों